महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन

किशोर न्याय

(बालकों की देखरेख व संरक्षण)

अधिनियम– 2015

प्रशिक्षण मार्गदर्शिका

© सभी अधिकार कापीराइट सहित महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के साथ आरक्षित है
इसका प्रयोग प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन हेतु किया जा सकता है।

किशोर न्याय

(बालकों की देखरेख व संरक्षण)

अधिनियम– 2015

प्रशिक्षण मार्गदर्शिका

2021

महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उत्तर प्रदेश
जियामऊ, 1090 चौराहा, लोहिया पथ, लखनऊ–226001

Website : www.wcso.in

Twitter @wpl1090

प्राक्कथन

बच्चे समाज एवं राष्ट्र के भविष्य हैं, देश के सुनहरे कल के लिए बच्चों की सुरक्षा व उनका सर्वांगीण विकास परम आवश्यक है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, देश की कुल जनसंख्या में 18 वर्ष से निम्न आयु के बच्चों की संख्या लगभग 39 प्रतिशत है। बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण एवं उनके हित के लिए देश में अनेंक कानून व योजनायें उपलब्ध हैं, किन्तु मानव संसाधन क्षमता की कमी और बाल कानूनों की पूर्ण रूपेण जानकारी का अभाव इन कानूनों एवं योजनाओं को लागू करने में चुनौती है।

भारत में पुलिस विभाग, समाज के लगभग सभी घटना/दुर्घटना के प्रकरणों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सम्मिलित रहने के कारण किशोरों से जुड़े मामलों में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है ।

यह सर्वविदित है कि उत्तर प्रदेश भारतवर्ष का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जहां बच्चों की संख्या देश में सबसे अधिक है। इसी प्रकार उ0प्र0 पुलिस में कार्यरत कर्मियों की संख्या भी देश में सर्वाधिक है, जो लगभग 2.5 लाख है, पुलिस कर्मियों को इन बाल अधिकारों/बाल संरक्षण से सम्बन्धित कानूनों के बारे में परिचित कराकर, पूर्ण रूपेण जानकारी के अभाव में प्रायः उत्पन्न होने वाली असहज स्थिति से बचा जा सकता है तथा बच्चों को उचित न्याय भी दिलाया जा सकता है।

अतः बाल अधिकार और बाल संरक्षण के सम्बन्ध में पुलिस कर्मियों को क्षमता निर्माण एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत यह पुस्तिका **''किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम– 2015 प्रशिक्षण मार्गदर्शिका''** तैयार की गयी है।

यह पुस्तिका निश्चित रूप से पुलिस अधिकारियों का किशोर न्याय व उनके सम्पर्क में आने वाले बच्चों के साथ किये जाने वाले व्यवहार के बारे में उनके ज्ञान व समझ को बढ़ाने, संवेदित करने तथा दृष्टिकोण परिवर्तन में अत्यन्त लाभकारी सिद्ध होगी। इसके साथ ही बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण व कल्याण के लिए उपलब्ध कानूनों/प्रावधानों/योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में मददगार होगी।

शुभकामनाओं के साथ....

मुकुल गोयल
आई.पी.एस.
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश।

प्रस्तावना

समाज और देश के समग्र उत्थान के लिए, उपयुक्त बाल संरक्षण व विकास अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी राष्ट्र का भविष्य उनके यहां निवास करने वाले बच्चों पर निर्भर करता है। यदि बच्चों को अनुकूल और सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाए तो निश्चित रुप से वह आगे चलकर देश के जिम्मेदार नागरिक के रुप में पल्लवित होंगे व राष्ट्र की उन्नति में सहभागी बनेंगे।

प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों का उत्पीड़न रोकने, महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध हो रहे अपराधों को नियंत्रित करने और उनको सहायता प्रदान करने हेतु पुलिस विभाग के अन्तर्गत महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन (WCSO) की स्थापना की गयी है, जो महिलाओं/बच्चों से सम्बन्धित ''विशेष किशोर पुलिस इकाई'' की राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी है।

बालकों से सम्बन्धित कानून व नियमावलियों में जुड़ते नित नये आयामों को पुलिस की कार्यपद्धति में सम्मिलित करने हेतु महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन द्वारा यह प्रशिक्षण पुस्तिका तैयार की गयी है। इस पुस्तिका के माध्यम से एक समान पद्धति पाठ्यक्रम तैयार किया गया है जिससे जनपद स्तर पर पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षक के रुप में तैयार किया जा सकेगा तथा प्रशिक्षित अधिकारियों द्वारा उ0प्र0 पुलिस में कार्यरत लगभग 2.5 लाख पुलिस कर्मियों में से विशेष किशोर पुलिस इकाइयों के सदस्य तथा थाना स्तर व जी0आर0पी0 में बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों के रुप में कार्यरत 4,322 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा सकेगा।

इस पुस्तिका को अस्तित्व में लाने के लिए मै श्रीमती अलंकृता सिंह, पुलिस अधीक्षक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, लखनऊ, श्रीमती नीति द्विवेदी, अपर पुलिस अधीक्षक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, लखनऊ तथा प्रत्यक्ष व परोक्ष रुप से सहयोग में रहे प्रत्येक व्यक्ति की आभारी हूँ।

मुझे आशा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस, विशेष तौर पर जनपदीय स्तर पर कार्यरत पुलिसकर्मी इस पुस्तिका का पूर्ण लाभ उठायेंगे व बालकों के प्रति अधिक संवेदनशीलता के साथ कार्य करेंगे।

Neera Rawat

नीरा रावत

आई.पी.एस
अपर पुलिस महानिदेशक
महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन,
उत्तर प्रदेश।

क्र0 सं0	विषयवस्तु	पेज सं0
01	**महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन का परिचय**	05
02	**प्रकाशन का लक्ष्य व उद्देश्य**	06
03	**बाल कल्याण पुलिस अधिकारी एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई हेतु प्रशिक्षण माड्यूल** ▪ माडयूल का परिचय ▪ सत्र की कार्ययोजना ▪ गतिविधियों का विवरण एवं फैसिलिटेटर हेतु चरणबद्ध दिशानिर्देश ▪ **दिवस–1:** किशोर न्याय (बालकों का देखरेख व संरक्षण) अधिनियम, 2015 की प्रस्तावना व अवधारणा, सिद्धांत एवं बच्चों की श्रेणियों की रूपरेखा ▪ **दिवस–2:** विधि विरूद्ध बालकों से संबंधित प्रावधान, पुलिस के दायित्व व फील्ड विजिट ▪ **दिवस–3**: बच्चों के प्रति अपराध, प्रकरणों के निस्तारण संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया	11–24
04	**संदर्भ सामग्री (अनुलग्नक)** ▪ **अनुलग्नक–1:** प्रशिक्षण पूर्व/पश्चात प्रश्नावली ▪ **अनुलग्नक–2.1:** केस स्टडी (जगराज) भाग–क ▪ **अनुलग्नक–2.2:** केस स्टडी (जगराज) भाग–ख ▪ **अनुलग्नक–3:** बच्चों की देखरेख व संरक्षण हेतु सामान्य सिद्धांत ▪ **अनुलग्नक–4:** स्टेकहोल्डर मैपिंग ▪ **अनुलग्नक–5:** विभिन्न परिस्थितियों में पालन की जाने वाली प्रक्रियायों हेतु केस स्टडी ▪ **अनुलग्नक–6:** बालकों के सम्बन्ध में पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों का आचरण ▪ **अनुलग्नक–7:** जेजे एक्ट के नियमों के अंतर्गत प्रोफार्मा ▪ **अनुलग्नक–8:** फीडबैक फार्म	26–52
05	**रिसोर्स पर्सन का संक्षिप्त विवरण**	53–55
06	**संक्षिप्त नाम**	57–58

महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन परिचय

महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु प्रदेश में महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन की स्थापना शासनादेश 730/6–पु0–15/2020–6(15)/2018 दिनांक 18 अगस्त 2020 द्वारा की गयी है। महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन का उद्देश्य महिला एवं बच्चों का उत्पीड़न रोकना, उनके विरुद्ध हो रहे अपराधों को नियंत्रित करना एवं उनको सहायता प्रदान करना है। वर्तमान में महिला उत्पीड़न सम्बन्धी मामलों में कार्यवाही के लिये संचालित महिला सम्मानप्रकोष्ठ, महिला सहायता प्रकोष्ठ, वीमेन पावर लाइन–1090 और पुलिस की अन्य इकाइयों को इस नवगठित संगठन में समाहित किया गया है। महिलाओं एवं बच्चों से सम्बन्धित प्राप्त होने वाली शिकायत के निस्तारण की जिम्मेदारी और जवाबदेही अब एक ही स्थान पर (एक ही अधिकारी) होने से इसके बेहतर परिणाम मिलेंगे। उ0प्र0 में महिलाओं की सुरक्षा का सबसे उत्तम साधन मानी जाने वाली वीमेन पावर लाइन 1090 सभी महिला थाने, एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, महिला सम्मान प्रकोष्ठ, सी0बी0सी0आई0डी0 का महिला सहायता प्रकोष्ठ अब महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के अधीन कार्यरत है। आई0जी0आर0एस0, 1090, सी0एम0 हेल्पलाइन इत्यादि से प्राप्त महिला उत्पीड़न सम्बन्धी शिकायतों को अभिलिखित करते हुए प्रभावी निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित करना प्रताड़ित महिलाओं को तत्परता से उचित सहायता उपलब्ध कराना एवं महिला के उत्पीड़न की समस्या के मूल में जाकर उसके समाधान के सम्बन्ध में शोध करना इसके कार्य में शामिल है। ए0एच0टी0यू0 संगठित अपराध में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विरुद्ध कार्ययोजना बनाना एवं इसे रोकने हेतु की जा रही कार्यवाही का अनुश्रवण एवं आंकलन करना। गृह सचिव भारत सरकार के अ0शा0प0सं0–150 20/08/2007–एटीसी दिनांकित 16.06.2010 के क्रम में प्रदेश में स्थापित AHTU का पर्यवेक्षण करना एवं इस सम्बन्ध में प्रदेश की नोडल एजेन्सी के रुप में कार्य करना। महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन का एक महत्वपूर्ण कार्य, विशेष किशोर पुलिस इकाई (**SJPU**) में बच्चों से सम्बन्धित प्रकरणों में अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण का है। महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के अन्तर्गत एक परिवार परामर्श केन्द्र भी कार्यरत होगा, जिसमें दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा, महिला प्रताड़ना के मामलों से सम्बन्धित महिलाओं की समस्याओं का निराकरण किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त मुख्यालय स्तर पर इस इकाई में नियुक्त अधिकारियों द्वारा आकस्मिक फील्ड विजिट कर समीक्षा भी की जा सकेगी।

प्रकाशन का लक्ष्य व उद्देश्य

पृष्ठभूमि–

बच्चे भारत की आबादी का लगभग 39 प्रतिशत हैं[1], बच्चों को उनकी कम उम्र और अपरिपक्व मस्तिष्क के कारण विशेष देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। उनके पास कुछ विशेष कानूनी अधिकार हैं जिन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया है। नीति निर्माताओं द्वारा बच्चों को सर्वोच्च राष्ट्रीय संपत्ति का दर्जा दिया गया है, बच्चे अपने अस्तित्व, स्वास्थ्य, विकास के अवसर, सुरक्षा और गरिमा के लिए राष्ट्रीय निवेश में प्राथमिकता का अधिकार रखते हैं।

भारत का संविधान, राज्यों को ऐसी नीति व नियम बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है जिससे वे बच्चों को स्वस्थ तरीके से स्वतंत्र होकर और गरिमापूर्ण जीवनयापन करने एवं बचपन और युवावस्था में होने वाले शारीरिक व मानसिक शोषण से सुरक्षा प्रदान कर सकें।[2]

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत ने मानवाधिकार घोषणापत्र 1948 पर हस्ताक्षर किये और वर्ष 1979 को बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव रखा था। जिसे संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौते (यूएनसीआरसी) ने 1992 में स्वीकार कर लिया और वर्ष 2005 में वैश्यावृत्ति, अश्लील सामग्री व सशस्त्र संघर्ष के लिए बच्चों की खरीद फरोख्त की रोकथाम हेतु वैकल्पिक प्रोटोकाल में संशोधन किया। आज भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय भागीदार के रूप में कार्य कर रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए भारत में बाल केन्द्रित विभिन्न अधिनियम पारित किये गये हैं, जिसमें किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम–2000, जिसे 2015 में नए अधिनियम के रूप में पारित किया गया, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) 2005, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, शिक्षा का अधिकार 2009 एवं लैंगिक शोषण से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम 2012 आदि अन्य कानून सम्मिलित हैं।[3]

किशोर न्याय व्यवस्था बच्चों के लिए तैयार की गई है जिसके अंतर्गत ऐसे बच्चे को केन्द्रित किया गया है, जो विधि विरूद्ध बालक/व संरक्षण की आवश्यकता व देखरेख की श्रेणी में आते हैं। यह बाल अधिकारों का वह क्षेत्र है जहां अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने सबसे अधिक कानूनी प्रावधानों (राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय) का प्रारुप तैयार किया है।

यह एक अतिसंवेदनशील विषय है जहां बच्चों को अभिरक्षा में लेते समय या शेल्टर होम में रखते समय कई बार राज्य की किशोर न्याय व्यवस्था में बाल अधिकारों का उल्लंघन देखने को मिलता है। बच्चों की स्वतंत्रता में बाधा डालना भले ही कानून के अंतर्गत हो, किन्तु वह किसी न किसी प्रकार से उनके स्वास्थ्य, शिक्षा व भावी सेवायोजन पर प्रभाव डालता है तथा उनके भविष्य को खतरे में डालता है। किशोर न्याय प्रणाली में विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों के अतिरिक्त वे बच्चे भी आते हैं जिन्हें देखरेख व संरक्षण की आवश्यकता होती है जैसे किसी मामले में पीड़ित, गवाह या शोषित बच्चे।

भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1986 में किशोर न्याय अधिनियम अस्तित्व में आया, जो कानून का उल्लंघन करने वाले बालकों पर केन्द्रित था। किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत बच्चों को मुख्यतः दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, देखरेख एवं संरक्षण की स्थिति वाले बच्चे तथा कानून से अवरोध की श्रेणी वाले बच्चे। पहली श्रेणी वाले बच्चों के पुनर्वास के लिए बाल कल्याण समितियां गठित की गई हैं तथा दूसरी श्रेणी हेतु जनपदों में किशोर न्याय बोर्ड गठित करने का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम में बच्चों के साथ नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर उनके पुनर्वास व पुर्नवापसी पर बल दिया गया है। यह अधिनियम मीडिया द्वारा बच्चों की निजता का पालन करते हुए उनकी पहचान उजागर न करने पर बल देता है जिससे पुनः उनका उत्पीड़न न हो सके तथा वे समाज में पढ़ाई व रोजगाार करते हुए सम्मानजनक जीवनयापन कर सकें।

[1] Census 2011
[2] Directive Principles of State Policy, Constitution of India
[3] Offcial Website of the Ministry of Women and Child Development, GoI.

वर्ष 2015 में, पिछले अधिनियम को संशोधित कर नये कानून 'किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015' को पारित किया गया, जो बच्चों की देखरेख व संरक्षण के सिद्धांत के साथ बच्चों के सर्वोत्तम हित के सिद्धांत को भी ध्यान में रखता है।

अधिनियम के धरातल पर क्रियान्वयन में पिछले 15 वर्षों में कई समस्यायें भी आईं जिनमें बच्चों की उम्र के निर्धारण हेतु दी गई प्रक्रिया, विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों को मृत्युदंड व उम्रकैद जैसे निर्णय पारित करने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध, बच्चों की पहचान उजागर करना अथवा बच्चों का नकारात्मक चरित्र प्रमाण पत्र की रिपोर्ट देना एक दंडनीय अपराध माना गया है।

अधिनियम में बच्चों के साथ होने वाले अपराधों व उनमें दंड के प्रावधान भी दिये गये हैं जैसे संस्थाओं में बच्चों को शारीरिक दंड देना एक अपराध माना गया है और इसके लिए सजा का भी प्रावधान किया गया है। अधिनियम में बच्चा शब्द को हटाकर किशोर शब्द को लाया गया है।

मा0 जस्टिस मदन बी लोकुर द्वारा मार्च 2017 में दिये गये एक ऐतिहासिक फैसले में अधिनियम की धारा 2(14) का संज्ञान लेते हुए 'देखरेख एवं संरक्षण के बच्चों' की परिभाषा को और अधिक विस्तृत करने की आवश्यकता बताया। जिससे देखरेख व संरक्षण की श्रेणी वाले बच्चों को मिलने वाले लाभ अन्य श्रेणी के बच्चों को भी मिल सके। विधि विरूद्ध बालकों को भी देखरेख व संरक्षण की श्रेणी में देखा जाना चाहिए जिससे उनके साथ परिस्थितिनुसार व्यवहार व प्रक्रियायें अपनायीं जा सकें। इसके अतिरिक्त लैंगिक शोषण, बाल मजदूरी, वैश्यावृत्ति, तस्करी, भीख मांगने वाले बच्चे अक्सर दोनों श्रेणियों में आ जाते हैं जिनके संपूर्ण पुनर्वास हेतु विभिन्न विभागों के साथ समन्वय की आवश्यकता होती है। भारत में हर तीसरा व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम उम्र का है उसको किशोर न्याय व्यवस्था में सम्मिलित किया गया है चाहे यह युवा अधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण बोझ प्रतीत होता हो। यह अधिनियम एक शक्तिशाली तंत्र है, जिसके द्वारा बच्चों अथवा किशोरों को संतुलित तरीके से शारीरिक, मनोवैज्ञानिक व सामाजिक विकास के उपयुक्त माहौल का प्रावधान किया गया है जिससे वे अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ें व समाज में सकारात्मक रूप से अपना योगदान दे सकें।

हालांकि विभिन्न विभागों व एजेंसियों का आपस में समन्वय न होने व किशोर न्याय के उद्देश्य के प्रति लोगों में संवेदनशीलता की कमी होने के कारण मात्र यह अधिनियम ही पर्याप्त नहीं है जिससे देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों तथा कानून से संघर्षरत बच्चों को सही ढंग से न्याय दिलाया जा सके व उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके।

संदर्भ

पिछले डेढ़ दशक में, देश के सभी जिलों में सीडब्लूसी, जेजेबी, चाइल्ड लाइन के अतिरिक्त ''विशेष किशोर पुलिस इकाई'' तथा ''बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों'' का गठन भी किया गया है, जो विभिन्न ढांचागत व भौतिक समस्यायों के कारण सक्रिय नहीं हो सके हैं।

अगस्त 2017 में सर्वोच्च न्यायलय की किशोर न्याय समिति द्वारा 'किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम 2015 का प्रभावी क्रियान्वयन' शीर्षक से समेकित रिपोर्ट जारी की गई है।[4] यह रिपोर्ट विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के साथ त्रिस्तरीय विचार–विमर्श के उपरांत तैयार की गई। यह विचार–विमर्श बैठकें सर्वोच्च न्यायालय के किशोर न्याय अधिनियम 2000 को धरातल पर क्रियान्वयन को देखने के लिए की गई थीं। अधिनियम के क्रियान्वयन में आने वाली समस्यायों व उभरते हुए मामलों को मानचित्रित करने के लिए एवं मामलों पर समझ विकसित करने व उपायों पर ध्यान देने के लिए सभी स्टेकहोल्डर्स को एक मंच पर आने की आवश्यकता थी, जिसके लिए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम 2015 पर ध्यान केन्द्रित किया गया। उसके उपरांत मा0 जस्टिस मदन बी0 लोकुर की अध्यक्षता में एकल सदस्य समिति व यूनीसेफ इंडिया के सहयोग से विचार–विमर्श हेतु बैठकों का आयोजन किया गया। इन बैठकों में तकनीकी रूप से

[4] Effective Implementation of The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015- Consolidated Report of The Supreme Court Committee on Juvenile Justice released August 2017

सेन्टर फार चाइल्ड एण्ड ला, नेशनल ला स्कूल आफ इंडिया यूनिवर्सिटी बंगलौर व उनके छात्रों द्वारा भी सहयोग प्रदान किया गया।

इस प्रकाशन के प्रयोजन के लिए उपरोक्त रिपोर्ट से निम्नलिखित तीन सुझावों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है–

1. **उचित समय अंतराल पर प्रशिक्षणः** एसजेपीयू/जेजेबी/सीडब्लूसी/न्यायिक अधिकारी/कोर्ट स्टाफ द्वारा जेजे एक्ट व पाक्सो एक्ट के प्रकरणों को संवेदनशीलता से डील करने हेतु क्षमता वर्द्धन कार्यक्रम तथा सभी स्टेकहोल्डर्स को बच्चों की सुरक्षा संबंधी विभिन्न विषयों जैसे बच्चों से संवाद, बाल यौन शोषण के प्रभाव, पीड़ित बच्चों पर कोर्ट रूम अथवा कानूनी कार्यवाही के दौरान प्रभाव, मानसिक स्वास्थ्य, युवावस्था में अपराधिक मानसिकता व व्यक्तिगत देखरेख योजना प्रपत्र आदि पर समय समय पर प्रशिक्षण आयोजित किये जाने चाहिए।
2. **स्टेकहोल्डर्स के मध्य सामंजस्य की कमीः** सभी राज्यों में बच्चों के मामलों के प्रति कार्यरत स्टेकहोल्डर्स जैसे पुलिस, सीडब्लूसी, जेजेबी, डीसीपीयू, सहायक व्यक्ति इत्यादि में अपनी भूमिका को लेकर समझ नहीं है। कुछ राज्यों में समन्वय की कमी के चलते बच्चों से डील करने के लिए संगठनों की बहुलता है, जिससे उनके पुर्नवास की गति मन्द हो जाती है। विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों की देखरेख व संरक्षण हेतु जेजेबी व सीडब्लूसी का आपस में समन्वय भी आवश्यक है।
3. **आपराधिक न्याय प्रणाली व बाल संरक्षण प्रणाली के मध्य सामंजस्य में सुधारः** विशेष न्यायालय व मजिस्ट्रेट द्वारा जेजे एक्ट 2015 की धारा 1(4)(ii) के अनुसार अपराध से पीड़ित बच्चों की देखरेख व संरक्षण के मामलों में सीडब्लूसी की भूमिका को समझना चाहिए। विशेष न्यायालय अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा बाल पीड़ितों के संस्थानिक अथवा गैर संस्थानिक उपचार अथवा सेवाओं हेतु उनको सीडब्लूसी को अन्तरित करना चाहिए। बाल पीड़ितों के क्षति पूर्ति की गणना हेतु विशेष न्यायालयों को सीडब्लूसी द्वारा बच्चों हेतु बनाई गई सामजिक अन्वेषण रिपोर्ट एवं व्यक्तिगत देखरेख योजना पर भी भरोसा करना चाहिए। विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों के जो प्रकरण जेजेबी द्वारा स्थानांतरित किये गये हैं, उन मामलों में विशेष न्यायालयों को चाहिए कि वे बच्चों की व्यक्तिगत देखरेख योजना तैयार करने हेतु डीसीपीयू, पी0ओ0 आदि को शामिल करें साथ ही सुरक्षित स्थान में भेजे गये बच्चों की समय समय पर प्रगति की जानकारी भी लेती रहें।

उद्देश्य

धरातल पर कानून के क्रियान्वयन हेतु पुलिस एक महत्वपूर्ण स्टेकहोल्डर है, जो देखरेख व संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के रेस्क्यू, बचाव व पुर्नवास आदि कार्यों में प्रथम उत्तरदाता अथवा सहयोगी के रूप में कार्य करती है। कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के प्रति उनको बाल सहायक वातावरण देने में अथवा उनके वैधानिक अधिकारों की रक्षा करने में भी पुलिस की अहम भूमिका है। पुलिस के इन सारे कार्यों को समन्वित व संगठित तरीके से करने हेतु उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किया गया है तथा सभी थानों पर सीडब्लूपीओ नामित किये गये हैं। सर्वोच्च न्यायालय एवं भारत सरकार द्वारा बच्चों से डील करने एवं उनको बाल सहायक वातावरण प्रदान करने के लिए पुलिस के क्षमता वर्द्धन व प्रशिक्षण हेतु विभिन्न दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं।

देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश में बाल अधिकारों के संरक्षण पर पुलिसबल की क्षमता विकसित करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एसजेपीयू व सीडब्लूपीओ का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का प्रयास किया गया है।

उ0प्र0 पुलिस बल में विशेष किशोर पुलिस इकाई के पदाधिकारी	
नोडल अधिकारी	78
एसजेपीयू इंचार्ज	78
एसजेपीयू सदस्य	884
सीडब्लूपीओ	3024
जीआरपी सीडब्लूपीओ	158
कुल	4322

इस परियोजना का संचालन ''महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन'' द्वारा किया जा रहा है। जिसके प्रमुख उद्देश्य व लक्ष्य इस प्रकार हैं–

1. उ0प्र0 राज्य के सभी एसजेपीयू व सीडब्लूपीओ का क्षमता वर्द्धन, जो प्रत्यक्ष रूप से ''किशोर न्याय अधिनियम 2015'' के क्रियान्वयन में सहयोग कर रहे हैं।
2. एसजेपीयू व सीडब्लूपीओ की 'बच्चों के सर्वोत्तम हित के सिद्धांत' पर समझ विकसित करना।
3. किशोर न्याय अधिनियम 2015 के क्रियान्वयन में विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के मध्य सामंजस्य को बढ़ाना जिसमें विशेषकर पुलिस व सीडब्लूसी, जेजेबी, डीसीपीयू, प्रोबेशन आफीसर, शेल्टर होम्स एवं चाइल्ड लाइन के साथ समन्वय प्रमुख है।
4. प्रौढ़ शिक्षा के सिद्धांत पर एसजेपीयू व सीडब्लूपीओ के लिए मानक प्रशिक्षण माड्यूल को विकसित करना।
5. प्रशिक्षण के प्रभाव का अध्ययन करना, कार्यक्रम में प्राप्त फीडबैक के आधार पर माड्यूल में आवश्यक संशोधन करना एवं उ0प्र0 के समस्त पुलिस बल को प्रशिक्षित करना।

महिला एवं बाल
सुरक्षा संगठन

बच्चों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कराये यथा भोजन पानी शौचालय आदि।

JJ ACT
2015

बाल कल्याण पुलिस अधिकारी एवं
विशेष किशोर पुलिस इकाई हेतु प्रशिक्षण माड्यूल

माड्यूल का परिचय

यह प्रशिक्षण माड्यूल 'महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन' द्वारा उ0प्र0 राज्य के एसजेपीयू व सीडब्लूपीओ हेतु विकसित किया गया है। इस माड्यूल द्वारा प्रशिक्षित अधिकारियों व कर्मचारियों के ज्ञान, कौशल और व्यवहार में सुधार लाने का प्रयास किया गया है। यह माड्यूल पारस्परिक सहभागिता के सिद्धान्त के आधार पर तीन दिवसीय रखा गया है, जिसमें वैधानिक प्रावधानों, क्रिमिनोलोजी, मानसिक स्वास्थ्य, मनोविज्ञान व समाजशास्त्र आदि विषयों को सम्मिलित किया गया है। प्रतिभागियों के बीच आपसी समन्वय, भागीदारी एवं प्रशिक्षण के परिणाम को ध्यान में रखते हुए सत्रों की कार्ययोजना तैयार की गयी है साथ ही केस शिक्षण पद्धति[5] का प्रयोग प्रमुखता से किया गया है। इसके अलावा माड्यूल में अनुभव से तैयार किये गये अभ्यास, समूह कार्य व्याख्यान व पैनल चर्चा हेतु विवरण भी दिया गया है।

इस माड्यूल को सीखने के उद्देश्य से निम्न प्रकार तैयार किया गया है–

1. जेजे ऐक्ट के सभी प्रावधानों के बारे में समझ विकसित करना, विशेषकर जो विधि विरूद्ध बालकों के लिए दिये गये हैं।
2. बच्चों की देखरेख व संरक्षण हेतु सिद्धातों पर समझ बनाना।
3. एसजेपीयू/सीडब्लूपीओ अपनी अपनी भूमिका के बारे में परिचित हो सकें।
4. बच्चों से व्यवहार करने हेतु एसओपी के बारे में जानकारी हो सके।
5. सभी स्टेकहोल्डर्स के मध्य आपसी समन्वय बन सके।

माड्यूल के बारे में विस्तृत व्याख्या, दिशानिर्देश, पाठन सामग्री एवं रिसोर्स पर्सन के लिए सुझाव आदि निम्नानुसार हैं।

[5] **प्रशिक्षक नोटः** केस शिक्षण विधि को विभिन्न बिजनेस स्कूल द्वारा मैनेजमेन्ट की पढ़ाई में उपयोग में लाया जाता है। यह विधि सहयोगात्मक समस्या समाधान, विचार मंथन, और लीक से हटकर सोच के लिए उत्तरदायी है। ज्ञान व कौशल में वृद्धि के अलावा सही दृष्टिकोण विकसित करने के लिए यह पद्धति बहुत उपयोगी है। इसके माध्यम से विभिन्न केस स्टडी को शामिल किया गया है जिन पर चर्चा व निर्णय में दुविधा न आने पाये। ये सभी प्रतिभागियों की सोच व विचार विमर्श करने के लिए विकसित किये गये हैं। प्रशिक्षक की भूमिका एक सहकर्मी के रुप में होता है। यह केस पीड़ितों से पेश आने के तरीकों, व्यवहारों को सुधारने में सहायक होते हैं।

सत्र की कार्ययोजना

दिवस–1: किशोर न्याय (बालकों का देखरेख व संरक्षण) अधिनियम, 2015 की प्रस्तावना व अवधारणा, सिद्धांत एवं बच्चों की श्रेणियों की रूपरेखा			
विषय	**प्रक्रिया**	**सीखने के उद्देश्य**	**समय अंतराल**
प्रतिभागियों का पंजीकरण **व प्रशिक्षण पूर्व प्रश्नावली**	आनलाइन गूगल प्रश्नावली	बेसलाइन द्वारा स्वमूल्यांकन	30 मिनट
शुभारंभ	वरिष्ठ अधिकारी द्वारा संबोधन	सीखने की प्रक्रिया हेतु प्रोत्साहन व मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करना	30 मिनट
आइस ब्रेकिंग	कार चालक गतिविधि	समानुभूति, संचार, चुप्पी तोड़ना, सहभागियों के साथ वार्तालाप, रैपो बिल्डिंग	45 मिनट
किशोर न्याय व्यवस्था की अवधारणा व प्रारंभिक प्रश्न	प्रारम्भिक प्रश्न	किशोर न्याय व्यवस्था की अवधारणा कि बच्चों और वयस्कों के साथ कैसा व्यवहार किया जाये।	15 मिनट
बच्चों की देखरेख व सुरक्षा के सामान्य सिद्धांत	केस स्टडी भाग–1 पर चर्चा	बच्चा कौन है, विधि विरूद्ध बालक कौन है, सामान्य सिद्धांत क्या हैं, क्या एक बच्चा सीएनसीपी व सीसीएल दोनों हो सकता है?	60 मिनट
किशोर न्याय अधिनियम का अवलोकन	पावरप्वांइट प्रस्तुति	बच्चा कौन है, सीएनसीपी/सीसीएल कौन है, सीडब्लुसी/जेजेबी/पीओ/ डीपीओ/चाइल्ड लाइन, सीडब्लूपीओ/एसजेपीयू की भूमिका, सीसीएल के लिए सुरक्षा की उपलब्धता।	60 मिनट
प्रश्न एवं अवलोकन	प्रश्नों पर खुले सत्र के अनुसार चर्चा, अनुभव साझा करना	सीखने की प्रक्रिया को बल देना, आपसी समझ विकसित करना, संदेहों को स्पष्ट करना।	30 मिनट
		योग	4.5 घंटे

दिवस–2: विधि के उल्लंघन वाले बच्चों से संबंधित प्रावधान, पुलिस के दायित्व व फील्ड विजिट			
विषय	**प्रक्रिया**	**सीखने के उददेश्य**	**समय अंतराल**
विधि के उल्लंघन वाले बच्चों से संबंधित प्रावधान	केस स्टडी भाग–2 पर रोल प्ले, समूह गतिविधि	सीसीएल के लिए प्रक्रिया, आयु निर्धारण, गंभीर अपराध, जघन्य अपराध आदि अपराधों में सीसीएल के प्रति कार्यवाही, पुलिस रिकार्ड का गोपनीय रखना,	90 मिनट

		बच्चों के सर्वोत्तम हित में स्टेकहोल्डर्स का समन्वय	
बाल अपराध एवं पुलिस कार्यवाही	समूह कार्य	बच्चे अपराध क्यों करते हैं? पुलिस वैधानिक कार्यों में क्यों फंस जाती है?	30 मिनट
अनसुनी आवाजें	शेल्टर होम, सीडब्लूसी का भ्रमण व डीपीओ से मिलना	समानुभूति एवं स्टेकहोल्डर्स समन्वय	120 मिनट
प्रश्न एवं अवलोकन	प्रश्नों पर खुले सत्र के अनुसार चर्चा, अनुभव साझा करना	सीखने की प्रक्रिया को बल देना, आपसी समझ विकसित करना, संदेहों को स्पष्ट करना।	30 मिनट
		योग	4.5 घंटे

दिवस–3: बच्चों के प्रति अपराध, प्रकरणों के निस्तारण संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया			
विषय	**प्रक्रिया**	**सीखने के उददेश्य**	**समय अंतराल**
बच्चों के प्रति अपराध	पावर प्वांइट प्रस्तुति	जेजे एक्ट में बच्चों के प्रति अपराध	45 मिनट
प्रकरणों के निस्तारण हेतु मानक संचालन प्रक्रिया	समूह कार्य हेतु केस स्टडी पर चर्चा	सीसीएल से संबंधित प्रक्रिया को जानना	90 मिनट
सभी चर्चाओं का एकत्रीकरण व समापन	खुली चर्चा	पुनः दोहराना एंव सीख	30 मिनट
मुख्य अतिथि द्वारा विदाई सम्बोधन	सम्बोधन	प्रोत्साहन व मनोबल बढ़ाना	45 मिनट
प्रशिक्षण पश्चात प्रश्नावली व फीडबैक	आनलाइन गूगल प्रश्नावली अथवा हार्ड कापी के माध्यम द्वारा	स्वमूल्यांकन	45 मिनट
		योग	4 घंटे

गतिविधियों का विवरण एवं फैसिलिटेटर हेतु चरणबद्ध दिशानिर्देश

दिवस–1	
किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम, 2015 की प्रस्तावना व अवधारणा, सिद्धांत एवं बच्चों की श्रेणियों की रूपरेखा	
गतिविधि–1	
प्रशिक्षण माड्यूल के विषय (क्या करें)	**प्रशिक्षक के लिए नोट्स (कैसे करें)**
प्रतिभागियों का पंजीकरण **व प्रशिक्षण पूर्व प्रश्नावली** 1. ज्ञान, व्यवहार एवं दक्षता को आंकने हेतु एकल प्रश्नावली का उपयोग किया जा सकता है। 2. अनुलग्नक में दृष्टांत प्रश्नावली दी गई है 3. प्रश्नावली को 'गूगल डॉक' के माध्यम से किया जा सकता है जिससे मूल्यांकन आसान हो जायेगा।	**प्रशिक्षक को निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए–** 1. प्रशिक्षण संबंधी जानकारी साझा करने के लिए व्हाट्सएप्प ग्रुप बनाना 2. 30 प्रतिभागियों के लिए 30 मिनट का समय निर्धारित करना चाहिए ताकि वे समय रहते प्रश्नावली को भर सकें। 3. यह प्रशिक्षण क्लास रूम में भी किया जा सकता है। 4. प्रतिभागियों को बतायें कि कैसे गूगल की सहायता से वे प्रश्नावली को भर सकते हैं। 5. उनसे कहें कि प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर उत्तर दें। 6. उनसे कहें यह कोई परीक्षा नहीं है जिससे उनकी तैनाती, पदोन्नति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 7. यह सुनिश्चित करें कि उनके परिणाम गोपनीय रखे जायें। 8. उनसे कहें कि पंजीकरण सूचना डब्लूसीएसओ के द्वारा डाटा एवं रिकार्ड के लिए उपयोग किया जायेगा। 9. पूर्व प्रश्नावली से प्रतिभागियों के अंदर स्वजागरूकता आयेगी।
आवश्यक सामग्री : गूगल शीट प्रश्नावली, सभी प्रतिभागियों के संपर्क व्हाटसअप नम्बर, पंजीकरण व पूर्व प्रश्नावली की हार्ड कापी (जिनके पास स्मार्ट फोन न हो)	
शुभारंभ 1. कार्यक्रम का शुभारंभ किसी पुलिस इकाई के प्रमुख द्वारा किया जा सकता है। 2. प्रारंभिक वार्ता में उन्हें प्रशिक्षण के उद्देश्य, उनका मनोबल बढ़ाने तथा उत्साहवर्धन करने वाली बातों को सम्मिलित किया जाना चाहिए।	**प्रशिक्षक को निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए–** वक्ता को प्रशिक्षण के उद्देश्य व कार्यप्रणाली से अवगत करा देना चाहिए। प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ाने से वे प्रशिक्षण में बढ़चढ़ कर हिस्सा लेंगे।

गतिविधि–2	
प्रशिक्षण माड्यूल के विषय (क्या करें)	**प्रशिक्षक के लिए नोट्स (कैसे करें)**
आइस ब्रेक कार/टैक्सी चालक गतिविधि सत्र की शुरूआत से पहले सभी का परिचय प्राप्त करें। जिसके लिए निम्न चरण अपनायें–	**प्रशिक्षक को निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए–** 1. इस गतिविधि में भौतिक संपर्क की संभावना को देखते हुए उन्हें अपने साथी का चयन स्वयं करने दें।

1. सर्वप्रथम प्रशिक्षक को अपना परिचय देना चाहिए व प्रतिभागियों के विषय में जानकारी देनी चाहिए जैसे किस रैंक के कितने आफीसर हैं इत्यादि
2. प्रशिक्षक द्वारा सीखने के उद्देश्यों के बारे में बताया जाना चाहिए। यह पावर प्वांइट के द्वारा भी बताया जा सकता है।
3. प्रशिक्षक के द्वारा कुछ आधारभूत नियम तय किये जाने चाहिए। प्रतिभागियों से पूछें कि कौन से नियम कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आवश्यक हैं।

कार/टैक्सी चालक गतिविधि हेतु आवश्यक चरण–

1. प्रतिभागियों से कहें कि वे अपना कोई साथी चुन लें।
2. उनको आपस में तय करने दें कि कौन कार बनेगा और कौन चालक बनेगा।
3. वे आपस में वार्तालाप कर तय करें कि क्या संकेत होने चाहिए जैसे दोनों कंधे झटकने का मतलब चलो, इसी तरह बांये कंधे को झटकने का मतलब बांये मुड़ो, इसी तरह दाहिने कंधे का मतलब दांये मुड़ना होगा। अगर कंधे को तीन बार लगातार झटक दिया जाये तो मतलब रूको।
4. हर कार की आंखो पर पट्टी बांधी जायेगी।
5. प्रशिक्षक के चलो बोलने पर सभी गतिमान हो जायेंगे।
6. प्रशिक्षक के रूको बोलने पर सब रूक जायेंगे।
7. यह खेल 10 मिनट के लिए होगा व दोनों साथियों को एक बार रोल बदलकर भी करवायें।
8. फिर खेल समाप्त कर सबको बैठने के लिए कहें।

चर्चा

1. प्रतिभागियों से पूछें कि जब वे कार बने थे तो कैसा अनुभव कर रहे थे। ज्यादातर जवाब आयेंगे कि डरा हुआ, संदेहास्पद, असुरक्षित इत्यादि।
2. उसके बाद पूछें कि जब आप चालक थे तो कैसा अनुभव कर रहे थे। ज्यादातर लोग कहेगें कि बलवान, शक्तिशाली, जिम्मेदार, सजग इत्यादि।
3. तब उनसे पूछें एक थाने में बच्चे से व्यवहार करते समय आप अपने कार्य से इसको कैसे

2. पद, रोल, जेण्डर को देखते हुए कई लोग असहज महसूस कर सकते हैं प्रशिक्षक को चाहिए कि प्रतिभाग करने हेतु सभी का मनोबल बढ़ाते रहें।
3. इस गतिविधि के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध करानी चाहिए व रास्ते की प्रत्येक बाधा को ध्यान में रखना चाहिए एवं निर्देश देना चाहिए कि संभलकर चलें।
4. प्रतिभागियों को हंसने, मजाक करने व खेलने का मौका दें, पर ध्यान दें कि किसी की भावनाओं को ठेंस न पहुंचे।
5. चर्चा के दौरान सभी प्रतिभागियों को अपनी बात रखने का मौका दें व प्रोत्साहित करें।
6. प्रशिक्षक को उपदेश देने से बचना चाहिए।
7. प्रशिक्षक को चाहिए कि 25 प्रतिशत ही बोले व बाकी 75 प्रतिशत प्रतिभागियों को बोलने के लिए दे।
8. सभी प्रतिभागियों को अपनी बात रखने के लिए उचित समय दें व संख्या के आधार पर विभाजन करें।

जोड़ सकते हैं। सामान्य उत्तर होगा कि हम चालक होगें व बच्चा कार। 4. चर्चा को यह कहकर समाप्त किया जा सकता है कि कार का रोल करते समय हम उस बच्चे की तरह थे जो पहली बार थाने में आया है। 5. जब हम चालक बनते हैं तो अच्छे भी बन सकते हैं व खराब चालक भी हो सकते हैं। जब हम खराब चालक बनते हैं तो हम बच्चे को दुबारा पीड़ित बना देते हैं। जो कि पहले से ही जोखिम की स्थिति में है। इसलिए बच्चों से पेश आते समय हमें हमेशा अच्छा चालक बनने का प्रयास करना चाहिए।	
आवश्यक सामग्री : आंख पर बांधने हेतु पटटी।	
गतिविधि–3	
प्रशिक्षण माड्यूल के विषय (क्या करें)	**प्रशिक्षक के लिए नोट्स (कैसे करें)**
किशोर न्याय व्यवस्था की अवधारणा व प्रारंभिक प्रश्न चरण– 1. पूछें उनके मन में क्या आता है, जब हम बचपन कहते हैं? सभी को तुरंत प्रतिक्रिया/उत्तर देने के लिए प्रेरित करें। प्राप्त हुए उत्तरों को बोर्ड पर लिखते चलें। सामान्य उत्तर हो सकते हैं जैसे– शरारत, खेलकूद, नादान, स्वतंत्रता इत्यादि। चर्चा में बतायें कि जो हमारी अपेक्षा बड़ों से होती है वह बच्चों के साथ नहीं हो सकती। 2. पूछें कि जब वो बच्चे थे तब की कौन सी ऐसी चीजें वे बड़े में नहीं करना पसंद करेंगे। सामान्य उत्तर आयेगा कि गलतियां। उन्हें बताये कि गलतियां होना सामान्य बात है पर बचपन की गलतियों को वयस्क के रूप में दोहराना नहीं चाहेंगे। 3. उनसे पूछें कि आप जब गलती करते थे तो क्या सोचते थे कि क्या दंड दिया जाना चाहिए। सामान्य उत्तर पिटाई, थप्पड़, डांट, काउंसलिंग इत्यादि चर्चा करें कि जब हम गलती करते थे तो उसकी सजा जेल न होकर हमें सुधारने के लिए होती थी, एक सुधरने का अवसर दिया जाता था। 4. बच्चें वयस्कों से कैसे अलग हैं? चर्चा करें कि वयस्कों के मस्तिष्क और	**प्रशिक्षक को निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए–** **1.** यहां पर व्हाइट बोर्ड का प्रयोग करें उस पर लिखने से प्रतिभागियों को सम्मानित महसूस होता है। **2.** प्रशिक्षक अपने बचपन के बारे में कुछ उदाहरण दे सकता है, जिससे उन्हें बोलने में झिझक नहीं होगी। **3.** प्रतिभागियों से कहें कि वे अपने उदाहरण साझा करें, न कि सुनी सुनाई बातों की चर्चा करें। **4.** उनके द्वारा अपने अनुभव साझा करने पर उन्हें प्रोत्साहित करें। **5.** किसी को जज न करें बल्कि समानुभूति रखें। **6.** बच्चों के बारे में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई सामान्य निर्णय न करें कि आजकल के बच्चे कितने आधुनिक हो गये हैं इत्यादि, बल्कि बदली हुई तकनीकों के बारे में बात करें कि इससे भी बच्चों का जीवन प्रभावित हुआ है।

अनुभव अधिक विकसित हो चुके होते हैं जबकि बच्चों को बाहरी दुनिया का अनुभव कम होता है पर फिर भी बच्चों की क्षमतायें बहुत अधिक होती हैं इसलिए हर बच्चे से अलग तरीके से व्यवहार करना चाहिए। 5. बच्चों को क्या सुरक्षा देने की आवश्यकता है? उत्तरों को नोट करें सामान्य उत्तर हथकड़ी नहीं लगाना, मीडिया में फोटो नहीं देना इत्यादि। चर्चा करें कि बच्चों को एक खुला वातावरण देने की आवश्यकता है जहां वे विकसित हो सकें। इसके लिए उनको व उनके परिवार को स्वास्थ्य, सुरक्षा व स्नेह देने की आवश्यकता है जिससे वे अपने आसपास व देश में अपना सार्थक योगदान दे सकें।	
आवश्यक सामग्री : व्हाइट बोर्ड व मार्कर	

गतिविधि–4	
प्रशिक्षण माड्यूल के विषय (क्या करें)	**प्रशिक्षक के लिए नोट्स (कैसे करें)**
बच्चों की देखरेख व सुरक्षा के सामान्य सिद्धांत क. बच्चे की परिभाषा ख. सामान्य सिद्धांत ग. क्या बच्चा दोनों श्रेणियों का हो सकता है सीसीएल/सीएनसीपी 1. प्रतिभागियों को केस स्टडी भाग–1 वितरित कर दें जो कि संलग्नक–1 में दर्शायी गई है। 2. सभी को पढ़ने के लिए 5 से 10 मिनट का समय दें। 3. सभी को दिये गये प्रश्नों के उत्तर लिखकर देने के लिए कहें। 4. दो प्रश्न पूरे समूह के साथ चर्चा करें। संलग्नक–1 5. बच्चों की परिभाषा के लिए प्रशिक्षक के नोट्स को देखें। अनावश्यक विस्तृत चर्चा न करें। 6. सामान्य सिद्धांत पर समझ के लिए प्रतिभागियों द्वारा प्रत्येक सिद्धांत को टिक करवायें जिसमें बच्चों के सर्वोत्तम हित के सिद्धांत पर विशेष ध्यान दें व विभिन्न उदाहरण भी दें। 7. पूछे कि जगराज क्या दोनों श्रेणियों में आता है सीसीएल व सीएनसीपी ? हां या न और हां या न के पीछे कारण क्या है।	1. बच्चा कौन है या उसकी उम्र को लेकर भारतवर्ष में यह विचारणीय विषय रहा है। कानूनों में इसकी अलग अलग व्याख्या दी गई है। हालांकि ज्यादातर विषेषज्ञों का जेजे एक्ट 2015 में दी गई परिभाषा को वैधानिक सही माना है। 2. जेजे एक्ट 2015 की धारा 1 (4) के अनुसार किसी अन्य कानून में होते हुए भी देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता अथवा विधि विरूद्ध बालकों के संबंध में जेजे एक्ट के सभी प्रावधान मान्य होंगे। 3. राष्ट्रीय बाल नीति 2013, की प्रस्तावना 2.1 के अनुसार 18 वर्ष से निम्न आयु के किसी व्यक्ति को बच्चा माना जाता है। 4. सर्वोच्च न्यायालय के सलील बाली व भारत सरकार के प्रकरण संख्या 17 जुलाई 2013 में दिये गये निर्णय के बिंदु– 44– हमारी सुनवाई से सामने आया कि किशेरन्याय अधिनियम 2000 में दिये गये बच्चे की उम्र को 18 वर्ष से निम्न के व्यक्ति को माना गया है जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार समझौते के अनुच्छेद 1 से लिया गया है। निःसदेह डा0 किशोर द्वारा बाल अधिकार समझौते का विवरण विरोधाभास

8. जब यह स्पष्ट हो जाता है कि जगराज दोनों श्रेणियों का बालक है तो सीडब्लूपीओ की भूमिका क्या है ? 9. चर्चा करें कि पुलिस का बच्चों के पुनर्वास एवं पुर्नवापसी में सीमित योगदान है पर इसके लिए पुलिस द्वारा बच्चों को बाल कल्याण समिति को अन्तरित किया जा सकता है। जहां उन्हें काउंसलिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा व पुनर्वास सेवायें उपलब्ध कराई जा सकती हैं।	रखता है। वैसे सामान्य तौर पर 18 साल से नीचे व्यक्ति को बच्चा ही मानना चाहिए जैसा कई राष्ट्र के कानूनों में भी दिया गया है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण वैज्ञानिक आंकड़ों में देखने को मिलता है, जो कहता है कि बच्चे का मानसिक विकास 18 वर्ष की आयु तक ही होता है जब वह अपने निर्णय खुद ले सकता है। किसी व्यक्ति की आयु 18 होने से पहले यह आंकलन आवश्यक है कि उसके मानसिक विकास के साथ शारीरिक विकास भी हो। इसी संदर्भ में मि0 कान्त द्वारा दिये गये चार्ट के आधार पर ज्यादातर बच्चों से संबंधित कानूनों ने 18 वर्ष ही बच्चे की आयु सीमा मानी है चाहें वे कानून का उल्लंघन करने वाले क्यों न हों। 45– किसी भी मामले में जहां सूचनाओं का अभाव हो वहां भी यह सत्य नहीं है कि हम किशोर न्याय अधिनियम 2000 जो कि सामूहिक रूप से संसद द्वारा पारित है उसके विपरीत विचार करें। 5. यूएनसीआरसी में दी गई परिभाषा– संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौते के अनुसार बच्चा वह है जिसकी आयु अभी 18 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है जब तक कि किसी राज्य में बहुमत में पहले से ऐसा न लिया गया हो। (https://home.crin.org/rights-gallery/the-convention) 6. किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार बच्चे की परिभाषा– बच्चे का अर्थ है कि जिस व्यक्ति ने अभी 18 वर्ष की आयु न पूर्ण की हो।
आवश्यक सामग्री : केस स्टडी की हार्ड व साफ्ट कापी, सामान्य सिद्धांत की लिस्ट	

गतिविधि–5	
प्रशिक्षण माड्यूल के विषय (क्या करें)	**प्रशिक्षक के लिए नोट्स (कैसे करें)**
किशोर न्याय अधिनियम का अवलोकन केस स्टडी भाग–1 के आधार पर चर्चा को समाप्त करने के लिए जेजे एक्ट के प्रमुख प्रावधान पावरप्वाइंट प्रस्तुति से बताये जा सकते हैं। जो कि इस प्रकार हैं– **1.** बच्चे की परिभाषा **2.** सीएनसीपी की परिभाषा **3.** सीसीएल की परिभाषा **4.** सीडब्लूसी / जेजेबी / प्रोबेशन अधिकारी / चाइल्डलाइन की भूमिका	**प्रशिक्षक को निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए–** 1. उन बातों व प्रावधानों को पुनः दोहरा सकते हैं व संदेह वाली बातों को भी पुनः अंकित कर सकते हैं। 2. यह आवश्यक है कि संक्षिप्त व सटीक बात रखें। फोकस सदैव प्रमुख विषयों व भूमिका आधारित बिन्दुओं पर होना चाहिए। 3. बहुत गम्भीर एवं विस्तृत व्याख्या या उदाहरण की आवश्यकता नहीं है जिसे

5. एसजेपीयू व सीडब्लूपीओ की भूमिका **6.** सीसीएल के लिए सुरक्षा उपाय क्र0सं0 6 में दिये गये बिंदु हेतु निम्नलिखित प्रावधान दिये गये हैं– 1. जब कभी बच्चे के संबंध में जांच शुरू हो जाने के बाद, जांच के दौरान यदि वह 18 वर्ष पूरी कर लेता है तो भी बोर्ड द्वारा उसको बच्चा ही माना जायेगा व कार्यवाही बच्चे के अनुसार ही चलेगी। 2. किसी भी अवस्था में विधि विरूद्ध बालक को जेल या लाकअप में नहीं रखा जायेगा। 3. एक बच्चे को कभी मृत्युदंड अथवा उम्रकैद का निर्णय नहीं दिया जा सकता। 4. दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 8 में दिये गये (सुरक्षा कार्यवाही) प्रावधानों अथवा अन्य कोई निरोधक कानून के अंतर्गत प्रावधान लागू नहीं होंगे न ही कोई कार्यवाही की जायेगी। 5. किसी वयस्क और विधि विरूद्ध बालक की एक साथ संयुक्त कार्यवाही नहीं की जायेगी। 6. एक बच्चे को जमानत का अधिकार है। 7. कोई भी समाचार पत्र, पत्रिका, चैनल, आडियो, वीडियो या किसी भी संचार के माध्यम से बच्चे की पहचान उजागर नहीं की जायेगी जैसे घर का पता, स्कूल का पता, फोटो, इत्यादि। 8. पुलिस बच्चे का कोई भी नकारात्मक चरित्र प्रमाणपत्र या तथ्य उजागर नहीं करेगी चाहे बच्चे का प्रकरण चल रहा हो या बंद हो गया हो या निस्तारित कर दिया गया हो।	बाद के सत्र में देखा जा सकता है। 4. अगर प्रतिभागी कोई व्यवहारिक समस्या लेकर भी आते हैं तो पहले यह आवश्यक है कि हम कानून को समझें कि हमसे क्या अपेक्षित है।
आवश्यक सामग्री : पावर प्वांइट प्रस्तुति साफ्ट एवं हार्ड कापी	
गतिविधि–6	
प्रशिक्षण माड्यूल के विषय (क्या करें)	**प्रशिक्षक के लिए नोट्स (कैसे करें)**
प्रश्न एवं अवलोकन प्रतिभागियों से दिन की चर्चा को समाप्त करने के उदेश्य से निम्नलिखित प्रश्न पूछे जा सकते हैं– 1. आज के दिन आप क्या लेकर जा रहे हैं ? 2. क्या आपने कुछ नया सीखा ? 3. क्या आप इस सीख को अपने कार्यस्थल पर उपयोग कर पायेंगे ? 4. आपको क्या समझ में नहीं आया ? 5. आपका कोई अनुभव जो आप साझा करना चाहते हैं ?	**प्रशिक्षक को निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए–** 1. प्रशिक्षक को चाहिए कि हर प्रतिभागी को अवसर प्रदान करें। 2. प्रतिभागियों से सटीक व संक्षेप में बात करें। 3. सत्र में प्रतिभागियों को बोलने हेतु 99 प्रतिशत समय दें। 4. प्रशिक्षक को अच्छा श्रोता व वाक्यों की अच्छी व्याख्या करने वाला होना चाहिए।
आवश्यक सामग्री : प्रश्नों की लिस्ट – साफ्ट एवं हार्ड कापी	

दिवस–2: विधि विरूद्ध बालकों से संबंधित प्रावधान, पुलिस के दायित्व व फील्ड विजिट

गतिविधि–1

विधि विरूद्ध बालकों से संबंधित प्रावधान	**प्रशिक्षक को निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए–**
चरण– 1. केस स्टडी भाग 1 (जगराज) को संलग्नक (क) के साथ सभी प्रतिभागियों को वितरित करें। 2. प्रतिभागियों को पढ़ने के लिए 5 से 10 मिनट दें। 3. केस स्टडी में दिये गये प्रश्नों के उत्तर लिख कर देने के लिए कहें। इसके लिए अतिरिक्त 5 मिनट का समय दें। 4. एक बार पढ़ लेने के बाद प्रश्नों और उत्तरों को आपस में विचार–विमर्श करने के लिए कहें। 5. प्रश्न संख्या 1 के लिए सभी को चर्चा उपरांत किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचना है। 6. प्रश्न संख्या 2 के लिए सभी स्टेकहोल्डर्स की लिस्ट तैयार करनी होगी जो कि जेजे एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप हो व जगराज के केस को नजर में रखते हो। (उदाहरण उत्तर संलग्नक ख में उल्लिखित है।) 7. प्रश्न संख्या 3 के लिए सभी प्रतिभागियों को आपस में चर्चा कर के चार्ट पेपर पर लिखना होगा। प्रतिभागियों को इसके लिए 30 मिनट का समय दें। 8. सभी समूहों से कोई भी दो समूहों को चार्ट पेपर पर प्रस्तुतीकरण करने के लिए कहें व इसके लिए 5–7 मिनट दें। 9. शेष प्रतिभागियों को निर्देशित करें की प्रस्तुति उपरांत अपने विचार अथवा यदि कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, साथ ही समूह के साथी अगर कोई महत्वपूर्ण बिंदु बताने से रह गया है तो जोड़ सकते हैं। 10. चर्चा को समाप्त करने हेतु पावर प्वाइंट प्रस्तुति द्वारा केस स्टडी भाग 2 के लिए जेजे एक्ट के महत्वपूर्ण प्रावधानों को बतायें। प्रस्तुति में जेजे एक्ट के निम्नलिखित प्रावधानों को रखा जा सकता है– • आयु निर्धारण हेतु प्रक्रिया, • सीसीएल द्वारा जघन्य/गंभीर व छोटे मोटे अपराधों में प्रक्रिया • पुलिस के द्वारा सीसीएल के बारे में गोपनीयता व अभिलेख को नष्ट करने संबंधी प्रक्रिया	1. सभी प्रतिभागियों को 5 समूहों में विभाजित करें। समूह की लिस्ट सत्र से पहले या एक दिन समाप्त होने पर शेयर कर लें। 2. समूहों के अनुसार बैठने का रूपरेखा बनायें, प्राथमिकता एक समूह यथासंभव एक गोल मेज पर बैठें। 3. हर टेबल पर 2 चार्ट पेपर व स्केच पेन का एक पैकेट दे दें। 4. समूह चर्चा के लिए प्रतिभागियों से कहें कि वे सभी को अपना मत रखने का अवसर दें और सभी के विचारों का सम्मान करें। 5. प्रतिभागियों को बतायें कि अगर जगराज को न्याय दिलाना है तो सभी स्टेकहोल्डर्स को एक साथ मिलकर कार्य करना होगा। 6. प्रतिभागियों को अपने चार्ट पेपर में पूरी प्रक्रिया व केस का समाधान दर्शाना चाहिए और ज्यादा लिखने के स्थान पर संकेत, फ्लो चार्ट आदि प्रयोग में लाना चाहिए। 7. जो समूह प्रस्तुति कर रहा है उसके सभी पांचों सदस्यों को भी बोलने का अवसर देना चाहिए। 8. समूह की प्रस्तुति के दौरान उन्हें बीच में रोकना या टोकना नहीं चाहिए। प्रश्न एवं विचार प्रस्तुति के उपरांत साझा करने चाहिए। 9. समय प्रबंधन का कड़ाई से पालन करें। 10. चार्ट पेपर की अपेक्षा रोल प्ले आदि को अधिक प्रोत्साहित करें। 11. रोल प्ले के लिए प्रतिभागियों को 30 से 40 मिनट तैयारी एवं 15 से 20 मिनट प्रदर्शन के लिए दें। 12. इसके लिए यह भी किया जा सकता है कि ज्यादातर प्रतिभागियों को चार्ट पेपर उपयोग करने दें व किसी एक ग्रुप को रोल प्ले का उत्तरदायित्व दें।

• बच्चों के लिए सर्वोत्तम हित के सिद्धांत के अर्न्तगत सभी स्टेकहोल्डर्स के बीच समन्वय	
आवश्यक सामग्री : केस स्टडी भाग–2 की प्रति, रोल प्ले हेतु स्क्रिप्ट, चार्ट पेपर, स्केच पेन, व्हाइट बोर्ड मार्कर, सभी स्टेकहोलडर्स की लिस्ट	

गतिविधि–2

प्रशिक्षण माड्यूल के विषय (क्या करें)	**प्रशिक्षक के लिए नोट्स (कैसे करें)**
बाल अपराध एवं पुलिस कार्यवाही इस विषय के लिए निर्देशित समूह चर्चा में निम्नलिखित बिंदुओं को सम्मिलित करें– 1. जगराज के केस को आगे बढ़ाते हुए समूह के एक भाग से पूछें अल्फा – बच्चे अपराध क्यों करते हैं ? 2. शेष बचे सदस्यों से पूछें बीटा – पुलिस बच्चों के मामलों में कार्यवाही या प्रावधानों को अपनाने में असफल क्यों रहती है ? 3. दोनों अल्फा व बीटा प्रश्नो पर समूह को चर्चा के लिए 10 मिनट दें। 4. तब प्रश्न अल्फा, समूह के सभी प्रतिभागियों से पूछें। 5. 10 मिनट में चर्चा यह बताकर समाप्त करें कि किशोर का अपराध के प्रति झुकाव कई जोखिम भरी परिस्थितियों के कारण हो सकता है जैसे उम्र, जेण्डर, जाति, धर्म, शिक्षा, अभिभावक की शिक्षा, आर्थिक स्थिति इत्यादि। 6. निम्न लिखित स्लाइड भी दिखाई जा सकती है।– 7. उसके उपरांत बीटा प्रश्न पूछें।	**प्रशिक्षक को निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए–** 1. दोनों प्रश्न ओपेन इंडेड हैं जिसको प्रतिभागियों के साथ वाद विवाद, क्विज के रूप में भी देखा जा सकता है। 2. अल्फा प्रश्न किशोर की अपराध के प्रति दृष्टिकोण को दर्शाता है और समानुभूति से यह महसूस करता है कि इसके पीछे बहुत से कारण जैसे सिनेमा, आर्थिक सामाजिक कारण, आधुनिक तकनीक, सोशल मीडिया आदि हो सकते हैं। 3. पढ़ने योग्य किताब– 'व्हाइ चिल्ड्रेन कमिट आफन्सेस' जो कि बटरफ्लाई संस्था द्वारा शेल्टर होम्स/संरक्षण गृहों के अध्ययन पर आधारित है। अध्ययन के कुछ तथ्य इस प्रकार हैं– • 51.3 प्रतिशत अपचारी किशोर कभी स्कूल नहीं गये या प्राथमिक स्तर तक पढ़े। • 62.1 प्रतिशत बच्चे जो संरक्षण गृह में हैं अभिरक्षा में लेते समय कोई काम कर रहे थे। • बच्चे जो संरक्षण गृह में थे उनके माता पिता में पिता 54.9 प्रतिशत व मातायें 79 प्रतिशत की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं हुई। • 56.6 प्रतिशत बच्चों ने बताया कि उनके आस पास के वातावरण में हिंसा अधिक होती थी। • 50.2 प्रतिशत बच्चे ऐसे थे जिनके परिवार की आय 25000 या उससे कम थी। • ज्यादातर बच्चों के पिता वेतन की अपेक्षा या तो मजदूरी करते थे या सेवा देने वाले कार्य करते थे । • 50.3 बच्चों के घर की स्थिति बहुत खराब थी।

8. 10 मिनट में चर्चा समाप्त करें कि पुलिस को चाहिए कि वो अपने ज्ञान, शिक्षा, कौशल में वृद्धि करते रहें।	4. बीटा प्रश्न आत्मनिरीक्षण के लिए एक अच्छा माध्यम है। हम ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? क्या हमें कोई पूर्वाग्रह हैं ? कौन से कार्य व प्रक्रियायें पुलिस के नियंत्रण में हैं और क्या नहीं है ? 5. यह एक अच्छा माध्यम है जिससे वे अधिक फोकस और अपनी क्षमताओं पर ध्यान केन्द्रित कर सकते हैं। 6. वार्तालाप या अपने विचार रखने से ज्यादा प्रश्नों को पूछना ज्यादा लाभकारी हो सकता है।
आवश्यक सामग्री : प्रश्नों की सूची, व्हाइट बोर्ड मार्कर	

गतिविधि–3	
प्रशिक्षण माड्यूल के विषय (क्या करें)	**प्रशिक्षक के लिए नोट्स (कैसे करें)**
अनसुनी आवाजें **चरण–** 1. किसी शेल्टर होम या वन स्टाप सेन्टर के भ्रमण की योजना बनायें जिसके लिए उपयुक्त आदेश लें। 2. भ्रमण कर सीडब्लूसी, डीपीओ व चाइल्ड लाइन से मिल सकते हैं व बात कर सकते हैं। 3. प्रतिभागियों को भ्रमण की जानकारी पहले ही दे दें। 4. प्रतिभागियों को बच्चों से बात करने के लिए बोलें जिसमें वे उनके रहन सहन और उनके सामजिक पृष्ठिभूमि परिवार आदि के बारे में पूछें।	**प्रशिक्षक को निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए–** 1. भ्रमण का उद्देश्य बच्चों से समानुभूति रखना है यह उनकी कोई समस्या दूर करने या कोई वादा करने के लिए नहीं है। ये बातें पूर्व में ही प्रतिभागियों को ब्रीफ कर देनी चाहिए। 2. बच्चों से पेश आते समय आचरण अच्छा होना चाहिए। दया और सहानुभूति दिखाना बच्चों के लिए निराशाजनक हो सकता है इसलिए उनसे व्यक्तिगत बातें न करें। 3. प्रतिभागी ध्यान रखें यह प्रशिक्षण संबंधी भ्रमण है न कि कोई निरीक्षण करने के लिए। शेल्टर होम के प्रति सभी का आभार होना चाहिए। 4. कोविड–19 महामारी से संबंधित सरकारी दिशानिर्देश का पालन करें। जिसमें मास्क, सेनेटाइजर व दो गज की दूरी का अवश्य पालन करें।
आवश्यक सामग्री : विजिट प्लान, अनुमति पत्र, कोविड प्रोटोकाल की प्रति।	

गतिविधि–4	
प्रश्न एवं अवलोकन	**प्रशिक्षक को निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए–**
प्रतिभागियों से कुछ ओपेन इंडेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं जैसे – 1. आज के दिन से आप क्या सीख लेकर जाना चाहेगें? 2. क्या आपने कुछ नया सीखा ? 3. क्या आप इस सीख को अपने कार्यों में उपयोग कर पायेंगे ?	1. प्रशिक्षक को चाहिए जितने अधिक लोगों को बात करने का मौका दें उतना अच्छा। 2. प्रतिभागियों से वार्ता संक्षिप्त व सटीक करें। 3. सत्र में 99 प्रतिशत प्रतिभागियों को ही बोलने दें। 4. प्रशिक्षक द्वारा अच्छा श्रोता व व्याख्या करने की क्षमतायें प्रतिभागियों के लिए आवश्यक हैं।

4. क्या आपको नहीं पसंद आया ? 5. कोई आपका अनुभव, जो आप साझा करना चाहते हैं ?	**5.** प्रतिभागी हो सकता अपनी क्षेत्र भ्रमण का अनुभव साझा करना चाहें उनकी भावना का सम्मान करें व उन्हें बोलने का अवसर दें।
आवश्यक सामग्री : प्रश्नों की सूची अथवा प्रतिभागियों की संख्या के अनुसार फारमैट की प्रतियां	

दिवस–3: बच्चों के प्रति अपराध, प्रकरणों के निस्तारण संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया	
गतिविधि–1	
बच्चों के प्रति अपराध **चरण** 1. पावरप्वाइंट के माध्यम से बतायें कि जेजे एक्ट 2015 में सर्वप्रथम बच्चों के प्रति अपराधों को सम्मिलित किया गया है। **2.** प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करें कि बच्चों के प्रति अपराध की उचित धाराओं का प्रयोग वे बच्चों के प्रति होने वाले आईपीसी के अपराध अथवा अन्य कानूनों के अंतर्गत आने वाले अपराधों में भी कर सकते हैं।	**निम्निलिखित अपराधों को बारी बारी चर्चा करें–** 1. शेल्टर होम या अन्य होम्स में शारीरिक दंड 2. बच्चों को भीख मांगने के लिए व्यवसाय पर रखना 3. बच्चों को कोई नशीला पदार्थ, शराब, या पदार्थ देना। 4. बच्चों का नशीला पदार्थ, मनःप्रभावी पदार्थ या अन्य शराब आदि को लाने ले जाने में प्रयोग करना। 5. किसी व्यवसाय या काम में बाल श्रमिकों का शोषण 6. बिना वैधानिक प्रक्रिया अपनाये बच्चों को गोद लेना या देना 7. बच्चों का अपहरण या व्यपहरण 8. विकलांग बच्चों के साथ अपराध 9. किसी भी कारण से बच्चों को खरीदना व बेचना/तस्करी
आवश्यक सामग्री : पावर प्वाइंट प्रस्तुति, प्रोजेक्टर, माइक	

गतिविधि–2	
प्रशिक्षण माड्यूल के विषय (क्या करें)	**प्रशिक्षक के लिए नोट्स (कैसे करें)**
प्रकरणों के निस्तारण हेतु मानक संचालन प्रक्रिया **चरण–** 1. अलग अलग समूहों को अलग अलग केस स्टडी दें। 2. हर एक समूह से पूछें कि क्या करेंगे व कैसे करेंगे ? 3. प्रतिभागियों को 10 से 15 मिनट दें ताकि वे चर्चा के बिंदु चार्ट पेपर पर लिख सकें। यह संकेत, रेखा चित्र या कोई डायग्राम हो सकता है। 4. प्रतिभागियों से चार्ट पेपर दीवार पर लगाने को कहें। 5. सभी प्रतिभागियों से कहें कि वे कमरे का	**प्रशिक्षक को निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए–** 1. इस गतिविधि में प्रतिभागी पहले दी गई स्थिति पर काम करेंगे उसके बाद पुलिस के कार्यों व दायित्वों पर चर्चा करेंगे। 2. जब केसों पर कार्य कर रहे होगें तो कई व्यवहारिक समस्याओं पर चर्चा होगी। जैसे बच्चे का आयु निर्धारण, कस्टडी, कौन सा फारमेट भरें किसको सूचना दें इत्यादि। 3. जब प्रतिभागी चार्ट पेपर पर चित्र अथवा संकेत का प्रयोग करते हैं तो उनका बांया दिमाग काम करता है इसलिए लंबे वाक्य लिखने से बचें। 4. जब प्रतिभागी दूसरे का चार्ट पेपर पढ़ते हैं तो

एक चक्कर लगायें और सभी के चार्ट पेपर को पढ़ें। इसके लिए उन्हें 15 से 20 मिनट का समय दें। 6. इसके उपरांत जब सभी बैठ जायें तो उनसे कहें कि वे क्या करने एवं न करने योग्य बाते हैं जो एक पुलिस वाले को करनी चाहिए जिसके संपर्क में किसी कारण से बच्चे आते है। यह वे अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। इसके लिए उन्हें 15 मिनट दें। 7. अब व्हाइट बोर्ड पर दो कालम बनायें– पहला पुलिसबल के बच्चों के प्रति दायित्व व कार्य व दूसरा कालम क्या करना चाहिए व क्या नहीं। 8. सभी से चर्चा के उपरांत कालम को भरें।	आपसी सहभागिता बढ़ती है। 5. करने एवं न करने योग्य बातों को अंतिम रूप देने से एक स्पष्ट उद्देश्य पता चलता है। और यह और भी सफल हो जाता है और धरातल पर करने योग्य हो जाता है क्योकि प्रतिभागियों ने स्वयं इसको विकसित किया है। 6. इसको बाद में प्रतिभागियों के साथ व्हाट्सऐप्प या ईमेल के माध्यम से साझा किया जा सकता है।
आवश्यक सामग्री : केस स्टडी की समूहों की संख्या के आधार पर प्रतियां, व्हाइट बोर्ड, मार्कर	
गतिविधि–3	
सभी चर्चाओं का एकत्रीकरण व समापन **चरण** 1. समूहों से कहें कि प्रत्येक दिवस के विषयों को संक्षेप में बतायें। वे यह बता सकते हैं कि क्या सीखा व इसका उपयोग वे अपने कार्यों में कैसे करेंगे। 2. हर समूह के बोलने के बाद उनके पास जाकर उसकी बातों को दोहराइये। **3.** चर्चा को उनका धन्यवाद देते हुए समाप्त करें।	
आवश्यक सामग्री : व्हाइट बोर्ड, मार्कर, फ्लिप चार्ट	
मुख्य अतिथि द्वारा विदाई सम्बोधन	**वक्ता हेतु आवश्यक सुझाव संलग्नक में संपर्क विवरण के साथ उल्लिखित है।**

गतिविधि–4	
प्रशिक्षण उपरांत फीडबैक व पश्चात प्रश्नावली 1. प्रतिभागियों के ज्ञान, कौशल, और व्यवहार की जानकारी हेतु एक प्रश्नावली तैयार करें। 2. एक संदर्भ प्रश्नावली संलग्नक में दी गई है। 3. प्रश्नावली को गूगल शीट अथवा सरल माध्यम से तैयार कर एकत्र करना चाहिए। **4.** फीडबैक फार्म को भी गूगल शीट में सम्मिलित किया जा सकता है।	1. प्रश्नावली देने के पश्चात प्रतिभागियों को 10 से 15 मिनट का समय दें। 2. जिन प्रतिभागियों के पास स्मार्टफोन की उपलब्धता न हो उनको हार्ड कापी की प्रति भरने के लिए दें व उसको भरने के उपरांत एकत्रित करें।
आवश्यक सामग्री : प्रशिक्षण पश्चात प्रश्नावलियों एवं फीडबैक फार्म की हार्ड व गूगल शीट	

महिला एवं बाल
सुरक्षा संगठन

बच्चे की पहचान किसी भी स्थिति में मीडिया मे उजागर नहीं की जाए

JJ ACT
2015

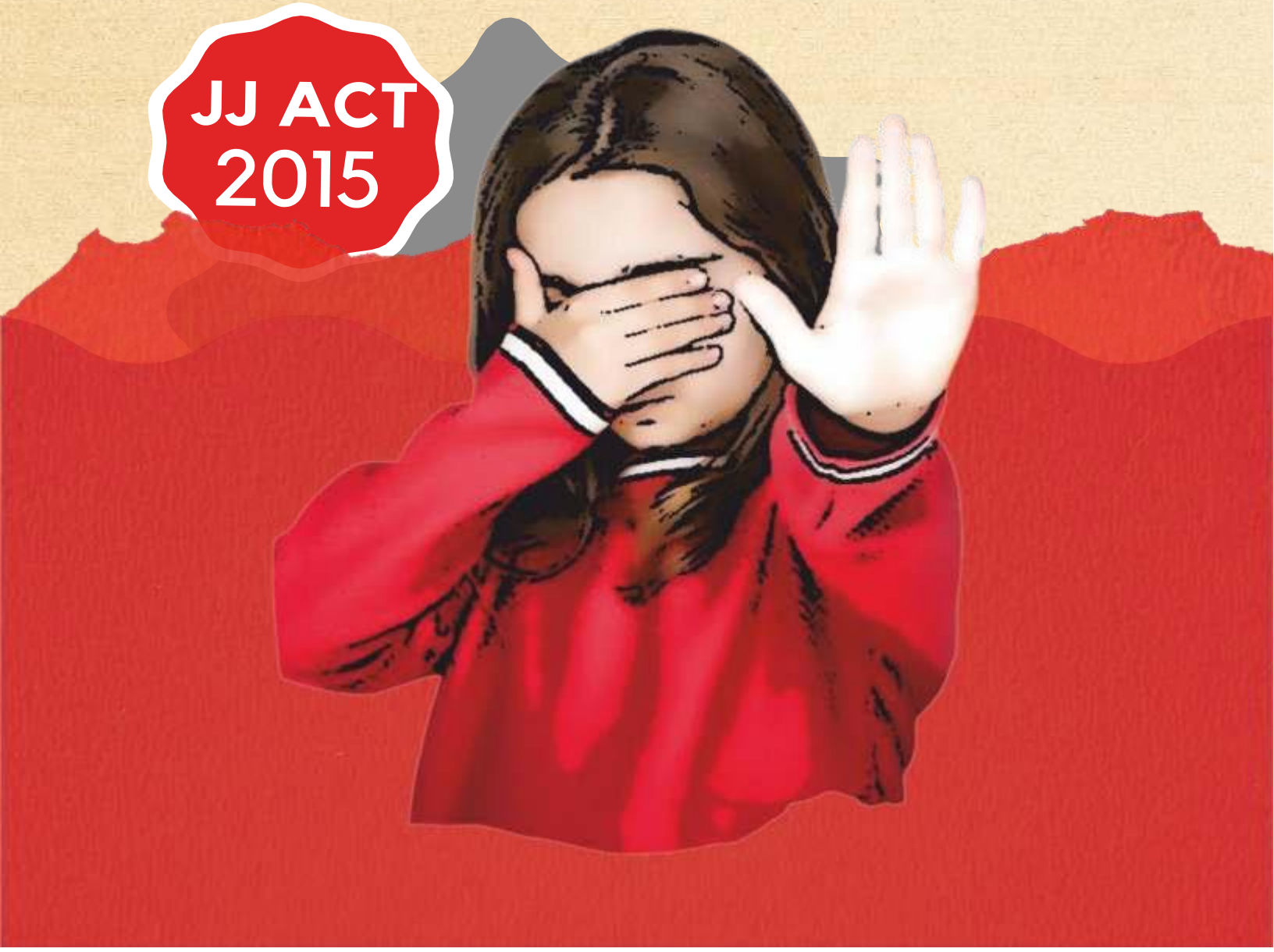

संदर्भ सामग्री

(अनुलग्नक)

अनुलग्नक–1

किशोर न्याय (बच्चों के देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015

प्रशिक्षण पूर्व /पश्चात प्रश्नावली

नामः– ..... उम्रः–.....

पदनामः–..... लिंगः–महिला ☐पुरूष ☐

जनपदः–..... मोबाइल नम्बरः–.....

✓ निम्नलिखित विकल्प पर सही चिन्ह लगायें।

1– भारत में आपराधिक उत्तरदायित्व हेतु न्यूनतम आयु क्या है, (वह उम्र जिससे कम के बच्चे को आपराधिक दायित्व से पूर्ण सुरक्षा प्राप्त है) ?

(क) 9 वर्ष

(ख) 11 वर्ष

(ग) 7 वर्ष

(घ) 5 वर्ष

(ड़) नहीं मालूम

2. क्या आपको लगता है कि एक बच्चे के अपराध करने की संभावना उसकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है ?

(क) हाँ

(ख) नहीं

यदि हाँ, तो कैसे?

.....

.....

3. क्या आपको लगता है कि कानूनी व्यवस्थाओं का बालकों एवं व्यस्को के प्रति पृथक–पृथक व्यवहार होना चाहिये ?

(क) हाँ

(ख) नहीं

यदि हाँ, तो कैसे?

.....

.....

.....

4. किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार, भारत में कौन बालक है ?

(क) 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति

(ख) 16 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति

(ग) 18 साल से कम उम्र का कोई भी लड़का या लड़की

(घ) 16 साल से कम उम्र का कोई भी लड़का या लड़की

(ड़) नहीं मालूम

5. आपके अनुसार किसी व्यक्ति को बालक की श्रेणी मे रखने हेतु कौन सी आयु सीमा निर्धारित होनी चाहिये ?

(क) 21 वर्ष (ख) 20 वर्ष

(ग) 19 वर्ष (घ) 18 वर्ष

(ड़) 17 वर्ष (च) 16 वर्ष

(छ) 15 वर्ष (ज) 14 वर्ष

(झ) 13 वर्ष (ञ) 12 वर्ष

6. जहां किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रावधान सीआरपीसी के कुछ प्रावधानों के विरोध में हो, वहां कौन सा नियम प्रभावी होगा?

(क) किशोर न्याय अधिनियम

(ख) सीआरपीसी

(ग) नहीं मालूम

7. बाल कल्याण समिति के पास प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की शक्तियां हैं और इसलिए वह एक पुलिस अधिकारी को निर्देश जारी कर सकती है।

(क) पूर्णतया सहमत

(ख) सहमत

(ग) पूर्णतया असहमत

(घ) असहमत

8. सम्प्रेक्षण गृह में कर्मचारियों द्वारा बच्चों को शारीरिक दंड दिया जाना किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत अपराध है।

(क) सत्य

(ख) असत्य

(ग) नहीं मालूम

9. बच्चे की आयु का निर्धारण कैसे किया जाना चाहिये ?

(क) उस पर दबाव डालकर

(ख) ऐफिडेविट को देखकर

(ग) उसकी जन्मकुण्डली को देखकर

(घ) दस्तावेज सबूत के आधार पर जैसे– हाईस्कूल मार्कशीट, जन्म पंजीकरण, विद्यालय परित्याग या दाखिला प्रमाण–पत्र

(ड़) बोन ओसीफिकेशन जाँच

(च) नहीं मालूम

अगर कोई अन्य (कृपया बताएं).....

10. जनपद में बच्चों के मामलों/बाल अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु निम्न में कौन सा विभाग नोडल होता है?

(क) समाज कल्याण विभाग

(ख) शिक्षा विभाग

(ग) स्वास्थ्य विभाग

(घ) प्रोबेशन विभाग

(ड़) श्रम विभाग

(च) नहीं मालूम

11. विधि विरूद्ध बालक को किसके समक्ष प्रस्तुत करना चाहिये ?

(क) जिला अदालत।

(ख) सी.जी.एम. अदालत।

(ग) किशोर न्याय बोर्ड।

(घ) बाल कल्याण समिति।

(ड़) एस.डी.एम. अदालत।

(च) नहीं मालूम।

12. विधि विरूद्ध बालक के सम्बन्ध मे तत्समय अभिभावकों/परिजनों को सूचना देना किसका दायित्व है?

(क) प्रोबेशन पदाधिकारी

(ख) बाल कल्याण पुलिस अधिकारी

(ग) डॉक्टर

(घ) संस्था

(ड़) मीडिया

(च) नहीं मालूम

कोई अन्य (कृपया बताएँ).....
.....
.....

13. क्या किसी बालक के विरूद्ध 107/116 अथवा 151 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही की जा सकती है?

(क) हां

(ख) नहीं

(ग) नहीं मालूम

14. अगर कोई बालक 12 वर्ष की उम्र में किसी की हत्या कर भाग जाता है और 45 वर्ष उम्र में पकड़ा जाता है तो उसे पुलिस किसके समक्ष प्रस्तुत करेगी।

(क) जिला अदालत।

(ख) सी.जे.एम. अदालत।

(ग) किशोर न्याय बोर्ड।

(घ) बाल कल्याण समिति।

(ड़) एस.डी.एम. अदालत।

(च) नहीं मालूम।

कोई अन्य (कृपया बताएँ).....
.....
.....

15. जमानत विधि विरूद्ध बालक का अधिकार है।

(क) सहमत

(ख) पूर्ण सहमत

(ग) असहमत

(घ) पूर्ण असहमत

केस स्टडी

भाग–क

जगराज का जन्म उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। वह तीन भाईयों में सबसे छोटा था। सभी भाई स्थानीय सरकारी स्कूल मे पढ़ते थे। जब जगराज को हाई स्कूल की परीक्षा का फार्म भरना था तो उसके माता पिता ने स्मृति के आधार पर उसकी जन्म तिथि 27 जनवरी 1998 अंकित करा दी। उसके सबसे बड़े भाई राजकुमार ने तीन बार हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा दी, परन्तु सफल न हो पाया और अंततः स्कूल छोड़ दिया। तत्पश्चात् राजकुमार ने रोजी रोटी के लिये मां बाप का हाथ बंटाने के लिये मजदूरी का काम शुरू कर दिया। 2012 में माता–पिता ने राजकुमार की शादी पड़ोस के गांव की एक लड़की से कर दी । दूसरे भाई ने भी स्कूल छोड़ दिया।

अपने दो भाईयों के विपरीत जगराज ने अपनी कक्षा 10 वीं एवं कक्षा 12 वीं की बोर्ड परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की। उसके माता–पिता ने सोचा कि वह अपने जीवन में कुछ कर सकता है और पूरे परिवार का भाग्य बदल सकता है। 2016 में उनके परिवार में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। 26 जनवरी 2016 को राजकुमार की पत्नी सविता ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। जगराज घटना के समय पड़ोस में अपने दोस्त के घर पर था पता चलते ही वह घर पहुंचा और अपने भाईयों के साथ सविता को नजदीकी अस्पताल ले गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

अगले दिन सुबह सविता के माता–पिता ने थाना सुल्तानपुर में जगराज सहित समस्त परिवार के विरूद्ध दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया। विवेचना के दौरान विवेचक ने पाया कि जगराज के माता–पिता को सविता की ओर से दहेज में एक मोटरसाइकिल और कुछ फर्नीचर दिया गया । उनके द्वारा समय–समय पर नकदी की मांग की जाती थी। सविता के माता–पिता सुल्तानपुर के डीएम और एसपी से मिले और धमकी दी कि दहेज हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर वे कलेक्ट्रेट के सामने भूख हड़ताल पर बैठेगें। जब विवेचना चल रही थी, उसी के दौरान एक दिन सविता की मॉ मुख्यमंत्री जनता दरबार लखनऊ में पेश हुई और अपने साथ हो रहे अन्याय की जानकारी दी। सीएम ऑफिस ने सुल्तानपुर के डीएम और एसपी को बुलाकर मामले में कार्यवाही करने के लिये कहा। प्रकरण में आईओ0 (विवेचक) को निलम्बित कर दिया गया। नए आईओ0 (विवेचक) ने प्रत्येक आरोपी को 10 मार्च 2016 को जेल भेज दिया, और 3 दिनों के भीतर उनमें से प्रत्येक के खिलाफ सत्र न्यायालय, सुल्तानपुर मे आरोप पत्र प्रस्तुत किया ।

1. क्या जगराज बच्चा है ? अगर हां तो क्या कारण है और यदि न तो क्या कारण है ?
2. अनुलग्नक–3 में दिए गए सामान्य सिद्धांतो का अवलोकन करें, उनमें से वे सिद्धांत टिक करें जहां लगता हो कि जगराज के अधिकारों का हनन किया गया हैं ?

अनुलग्नक–2.2

भाग–ख

मामले की सुनवायी के दौरान जगराज की जमानत मंजूर करते हुये जज ने देखा कि तीनों में सबसे छोटा भाई जगराज बहुत छोटा दिखता है और वह पहले ही छह महीने की सजा काट चुका है। जगराज बाद में जमानत पर रिहा हो गया। हालांकि उसके दो बड़े भाईयों को कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया, उसकी बूढ़ी मां को भी उसी सुनवायी में जमानत दे दी गयी। लेकिन दुर्भाग्य से जेल में रहते हुये जगराज के पिता की डायरिया से मौत हो गयी।

जगराज और उसकी मां को आपराधिक न्याय प्रणाली के बारे में कुछ भी नहीं पता था अपने भाईयों के जमानत के मामले को आगे बढ़ाने के लिये उनके पास पर्याप्त पैसा भी नहीं था। घटना के समय वह बालक था परन्तु अपने अधिकारों के बारे में भी उसे पता नहीं था।

जगराज ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करने का फैसला किया। हालांकि आर्थिक और सामाजिक रूप से अब हालात बहुत अलग थे, स्थानीय प्रिंट मीडिया ने पहले ही उन्हें लालची, हत्यारा करार दिया था और उनके फोटो भी छापे थे। इस कारण जगराज को अपने गांव के पास एक छोटी सी नौकरी भी न मिली। जीविका चलाने के लिये उसकी मां को एक खेत मजदूर के रूप में काम करना पड़ा। जगराज को ग्रेजुएशन करने का प्लान छोड़ना पड़ा। काफी मशक्कत के बाद सुल्तानपुर शहर के एक शापिंग काम्प्लेक्स में जगराज को अस्थायी तौर पर साफ–सफाई और झाड़ू लगाने का काम मिला। पर नौकरी से उसे अच्छा भुगतान नहीं हो रहा था, जिससे वह अपना, अपनी मॉ का व अपने भाईयों की जमानत आदि का खर्चा उठा सके।

जब जगराज इस काम पर था, तब उसके नियोक्ता को पता चला कि जगराज पढ़ने लिखने में अच्छा है, तो इस कार्य के साथ–साथ मालिक ने उसे बुक कीपिंग में लगा दिया । जगराज ने एक सहकर्मी से टाइपिंग और शार्ट हैंड सीखना शुरू कर दिया। तथा दूरस्थ शिक्षा मोड से उसने स्नातक कर लिया। नौकरी की तलाश मे, जगराज नियमित रूप से अखबार पढ़ता था। एक दिन उसने एक संविदात्मक पद के लिये वॉक–इन इंटरव्यू का विज्ञापन देखा, सुल्तानपुर कलेक्ट्रेट में टाइपिंग टेस्ट दिया और बिना किसी सिफारिश के चुना गया। उसे नियुक्ति के लिये कई सत्यापन प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी।

उसने पुलिस अधीक्षक, कार्यालय में दिनांक 11 जनवरी 2018 को सत्यापन प्रमाण पत्र के लिये एक आवेदन दिया । एसपी ने उसकी फाइल सम्बन्धित पुलिस थाना भिजवाते हुये उचित माध्यम से पुलिस रिपोर्ट की मांग की। थाना सुल्तानपुर के अपराध अभिलेखों के आधार पर पुलिस रिपोर्ट इस प्रकार है–

1. जगराज के खिलाफ दहेज हत्या का अपराध दर्ज है (अपराध संख्या/तिथि)

2. जगराज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और छह महीने (तारीख) तक जेल में रहा।

3. जगराज के खिलाफ इस मामले में 04 अन्य (सीएस नम्बर/तिथि) के साथ चार्जशीट किया गया था।

4. मामला सत्र न्यायालय सुल्तानपुर (कोर्ट फाइल न0) में विचाराधीन है।

यह रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक, (एसपी) कार्यालय तक पहुंची, पुलिस रिपोर्ट पढ़ते/जांच करते समय जगराज का आवेदन, हाई स्कूल की मार्कशीट व सत्यापन प्रमाण पत्र संलग्न थे। एसपी ने बारीकी से सभी दस्तावेज देखते हुये जन्म की तारीख से लेकर घटना की तारीख तक की गिनती सावधानी से की तथा पाया कि घटना के वक्त यह लड़का बच्चा था, फिर भी उसके साथ उसके बड़े भाई के समान व्यवहार किया गया।

एसपी ने जे0जे0 (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 का अध्ययन किया तो ज्ञात हुआ कि किशोर न्याय अधिनियम. 2015 के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है। लेकिन क्या जगराज की मदद करने का कोई विकल्प था, जो इस नौकरी के अवसर के रूप में जगराज के पास अपनी योग्यता के आधार पर जीवन यापन करने का एक आखिरी मौका था।

1. यदि आप एसपी होते तो, उक्त मुद्दे पर क्या निर्णय लेते, और क्यों?

.....

.....

.....

.....

2. किशोर न्याय प्रणाली मे ंप्रमुख कर्तव्य–धारकों की पहचान करें ?

.....

.....

.....

.....

.....

3. ऐसे मामलों में सम्बन्धित धारकों की भूमिकायें और जिम्मेदारियां क्या हैं ?

.....

.....

.....

अनुलग्नक–3

बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण हेतु सामान्य सिद्धांत

निर्दोष मानने का सिद्धांत : किसी बालक की 18 साल की आयु तक किसी असद्भाव अथवा आपराधिक आशय से निर्दोष माना जायेगा।

गरिमा व मूल्यों का सिद्धांत : सभी मनुष्यों के साथ गरिमा और अधिकारों के अन्तर्गत बर्ताव किया जाना चाहिए।

भागीदारी का सिद्धांत : बालक की आयु व परिपक्वता को देखते हुए उसके जीवन को प्रभावित करने वाली प्रक्रियायों व निर्णयों को सुने जाने व भाग लेने का अधिकार होगा।

सर्वोत्तम हित का सिद्धांत : बालक के संबंध में कोई भी निर्णय उसके हित को ध्यान में रखकर लिया जायेगा।

पारिवारिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत : बालक की प्राथमिक देखरेख, उसका संरक्षण, सुरक्षा व पोषण का दायित्व उसके माता पिता/संरक्षक का होगा।

सुरक्षा का सिद्धांत : बालक की सुरक्षा/पुर्नवास के लिए हर वो उपाय किये जायेंगे, जिससे यह सुनिश्चित हो कि किशोर न्याय प्रणाली के अंतर्गत व उसके पश्चात भी बालक के साथ किसी प्रकार का र्दुव्यवहार/शोषण आदि न हो।

सकारात्मक उपायों का सिद्धांत : इस अधिनियम के अंतर्गत बालकों के जोखिमों/परेशानियों/मुसीबतों को कम करने के लिए सभी संसाधनों का इस्तेमाल किया जायेगा व उनके लिए सकारात्मक कदम उठाये जायेंगे।

गैर कलंकीय शब्दों व भाषा का प्रयोग न करने का सिद्धांत : बालक या उससे संबंधित प्रक्रियायों के दौरान किसी भी अपमान जनक शब्द, अपशब्दों व कलंकीय शब्दों का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

अधिकारों के अधित्याग का सिद्धांत : बालक के सभी अधिकारों को दिलाना चाहिए, किसी भी अधिकार को छीना या त्यागा नहीं जा सकता।

समानता का अधिकार : किसी भी बालक के साथ जन्म स्थान, धर्म, संप्रदाय, जाति, लिंग, अक्षमता के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए व बालक को बराबरी के अवसर व व्यवहार समान रूप से प्रदान किया जाना चाहिए।

निजता व गोपनीयता का सिद्धांत : प्रत्येक बालक को सभी तरीकों, साधनों के माध्यम से संपूर्ण न्यायिक व पुर्नवास प्रक्रिया के दौरान अपनी पहचान व गोपनीयता का अधिकार है व सभी का यह दायित्व भी है कि बालक की पहचान न उजागर करें, जब तक ऐसा करना उसके सर्वोत्तम हित में न हो।

बालक को किसी संस्था में रखने का अंतिम उपाय का सिद्धांत : बालक को रहने व रखने के लिए उसका परिवार प्राथमिक है यदि किसी अवस्था में पारिवारिक देखरेख न मिल पा रही हो तो उसको शेल्टर होम में रखना, अंतिम उपाय होना चाहिए।

वापस भेजने व पुर्नस्थापित करने का सिद्धांत : किशोर न्याय व्यवस्था में प्रत्येक बालक का यह अधिकार है कि उसको परिवार से यथाशीघ्र पुनः मिलाया जाये, और सामाजिक, आर्थिक परिवेश में व समाज में पुनः स्थापित किया जाये, जब तक कि ऐसा करना उसके हित में न हो।

नई शुरूआत का सिद्धांत : किशोर न्याय व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी बालक के अतीत के सभी अभिलेखों व दस्तावेजों को एक समय पश्चात नष्ट कर दिया जायेगा।

डायवर्जन (मोड़ने) का सिद्धांत : विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों को न्यायिक प्रक्रिया/कार्यवाही में शामिल न करने व दूर रखने वाले सभी उपायों को बढ़ावा दिया जायेगा। जब तक कि ऐसा करना उसके सर्वोत्तम हित में न हो।

नैसर्गिक (नेचुरल) न्याय का सिद्धांत : इस सिद्धांत के अंतर्गत निष्पक्षता के सभी बुनियादी मानकों जिसमें उसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, भेदभाव से संरक्षण का अधिकार, पुर्नसमीक्षा का अधिकार शामिल है जिसका पालन न्यायिक क्षमता रखने वाले सभी व्यक्तियों/निकायों द्वारा किया जाना चाहिए।

अनुलग्नक–4

स्टेकहोल्डर मैपिंग

(जगराज केस–भाग ख)

अनुलग्नक–5

विभिन्य परिस्थितियों में पालन की जाने वाली प्रक्रियायों हेतु लघु केसस

लघु केस–1

शाम को 4 बजे आपके थाने में एक शिकायत आई है, कि कुछ बच्चों ने शराब पीकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी है, आप मौके पर जाते हैं और उन बच्चों को लेकर थाने वापस आते हैं। सारी कार्यवाही करते करते शाम के छः बज जाते हैं। किशोर न्याय बोर्ड को अगले दिन 10 बजे खुलना है।

आप इस हालात में क्या करेंगे?

उत्तर–

- ❖ बोर्ड अगर बैठक में नहीं है तो बोर्ड के किसी एक सदस्य के समक्ष बालक को प्रस्तुत किया जा सकताहै। (धारा–7(2) व नियम 9 (5))
- ❖ यदि बेवक्त या दूरदराज के स्थान पर पकड़े जाने के कारण बोर्ड या बोर्ड के किसी सदस्य तक पहुंचना संभव न हो, तो बाल कल्याण पुलिस अधिकारी इन नियमों के नियम 69(घ) के अनुसार उस बालक को संप्रेक्षण गृह या किसी उपयुक्त सुविधा में रखेगा और उसके बाद 24 घंटे के भीतर उस बालक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। (नियम 9 (6))
- ❖ बोर्ड के किसी एक सदस्य के समक्ष बालक को प्रस्तुत करने के समय प्राप्त आदेश का अनुसमर्थन बोर्डकी आगामी बैठक में करने की आवश्यकता होगी। (नियम 9 (7))

लघु केस –2

आपके थाने में एक चोरी का मामला दर्ज होता है, अगले चार महीनों तक चोर का पता नहीं चलता। जबचोर का पता चलता है और उसे पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है, तब पता चलता है कि चोरी करने वाला 15साल का बालक है। किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार इस मामले में विवेचना पूरी करने और चालान/अंतिम रिपोर्ट जमा करने की दो माह की समय सीमा पहले ही निकल चुकी है।

आप इस मामले में आगे क्या कार्यवाही करेंगे?

उत्तर–

- ❖ दो माह की सीमा निकल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि बोर्ड ऐसी स्थिति में समयावधि बढ़ासकता है, जब पता चलता है कि अपराध किसी बालक द्वारा किया गया है तो बोर्ड को अवगत करायेंव समयावधि बढ़वा कर आगे की विवेचना व कार्यवाही पूर्ण करें।
- ❖ यदि बालक को पकड़ लिया जाता है, तो मामले की एफ0आई0आर0 व बालक की सामाजिक पृष्ठभूमिरिपोर्ट तैयार कर अग्रिम कार्यवाही हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करें।
- ❖ छोटे मोटे अपराधों के मामलों में अंतिम रिपोर्ट यथाशीघ्र और किसी भी मामले में पुलिस को सूचना कीतारीख से अधिकतम दो मास की समयावधि में बोर्ड के समक्ष दायर की जायेगी, सिवाय उन मामलों के,जिनमें यह ज्ञात नहीं था कि अपराध किसके द्वारा किया गया है। उन मामलों में अंतिम रिपोर्ट दायर करने के लिए बोर्ड द्वारा समयावधि बढ़ाई जा सकती है। (नियम 10 (6))

लघु केस –3

शकील एक 13 साल का लड़का है। जो पास की बस्ती में स्कूल जाता है। वह बहुत शांत लडका था, स्कूल के बाद ज्यादातर समय अपनी मॉ के साथ बिताता था। शकील के पिता एक बेरोजगार व शराबी थे, जो अक्सर शकील का मॉ को मारा करते थे। कभी–कभी शकील की भी पिटाई करते थे। एक शाम जब शकील के पिता उसकी मॉ को मार रहे थे, शकील ने उसका विरोध किया, शकील ने गुस्से में आकरएक पत्थर पिता को मारा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। शकील को मर्डर के केस में पकड़ा गया।

1. थाने स्तर पर क्या प्रक्रिया अपनायी जाएगी? क्रमवार लिखे?

2. किशोर न्याय बोर्ड की क्या प्रक्रिया होगी?

उत्तर–

थाने स्तर पर प्रक्रियाः

- ❖ क्योंकि जघन्य अपराध है इसलिए मामले की एफ0आई0आर0 की जायेगी।
- ❖ बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट (प्रपत्र–1) तैयार करेंगें।
- ❖ बालक की उम्र के साक्ष्य एकत्र करेंगें।
- ❖ बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा बालक को निरूद्ध किया जायेगा, यदि यह बालक के हित में है।
- ❖ बालक को 24 घंटे के अंदर एफ0आई0आर0 (बालक को पकड़े जाने के कारण स्पष्ट करने वालीरिपोर्ट) व सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट के साथ अन्य ब्यौरे सहित किशोर न्याय बोर्ड में प्रस्तुत कियाजायेगा।

किशोर न्याय बोर्ड की प्रक्रियाः

- ❖ बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा बालक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने पर बोर्ड द्वारा धारा 94 मेंविहित प्रक्रिया द्वारा आयु का निर्धारण किया जायेगा।
- ❖ बोर्ड द्वारा बालक के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश पारित किये जायेंगे जिसमें बालक को संप्रेक्षण गृह यासुरक्षित स्थान या उचित व्यक्ति या उचित सुविधा तत्रं में भेजना शामिल है अथवा बोर्ड द्वारा बालक कोधारा 12 के अंतर्गत जमानत दी जा सकती है।
- ❖ यदि बालक को निरुद्ध नहीं किया गया है, तथा अपराध के सम्बन्ध में पुलिस या एस०जे०पी०यू० या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा सूचना बोर्ड को दी गयी है, तो बोर्ड द्वारा बालक को अविलम्बउसके समक्ष उपस्थित किये जाने के संबंध में आदेश पारित किये जायेंगे जिससे कि अंतिम रिपोर्ट कीप्रतीक्षा किये बिना बालक के पुनर्वास से सम्बंधित आदेश पारित किये जा सकें। (नियम 9)
- ❖ बोर्ड द्वारा बालक से सम्बंधित सामाजिक पृष्ठभूमि, निरुद्ध किये जाने की परिस्थितियों तथा बालक द्वाराकिये गए अपराध से सम्बंधित रिपोर्ट का पुनर्विलोकन (REVIEW1) करने के बाद उसके सम्बन्ध में धारा17 अथवा 18 के अंतर्गत आदेश पारित किये जायेंग। (नियम 10)

लघु केस – 4

श्याम एवं प्रवीन अच्छे मित्र है। श्याम 15 वर्ष का एवं प्रवीन 13 वर्ष का है। वे दोनों ज्यादातर वक्त घर के बाहर बिताते थे। श्याम अपने पिता से नफरत करता था क्योकि वे उसे बात बात पर मारा व गालीदिया करते थे। प्रवीन भी घर पर झगडों को लेकर वहां रहना नहीं चाहता था इसलिए दोनो ने सडक कारास्ता चुना और सड़क पर व किराए की जगहों, पार्को आदि में जीवन काटने लगे। एक दिन जब उनकेपास खाने को कुछ नही था, उन्होने कपड़े की दुकान में चोरी की व सी0सी0टी0वी0 में कैद हो गये।

जांच अधिकारी बच्चों के बारे में प्रक्रिया जानना चाहते हैं।

1. थाने स्तर पर क्या प्रक्रिया अपनायी जाएगी? क्रमवार लिखे?

2. बच्चों के घर सर्च करने हेतु क्या प्रक्रिया होगी?

3. सभी स्टेक होल्ड को पहचाने व उनके नाम लिखे?

उत्तर–

थाने स्तर पर प्रक्रियाः

- ❖ चोरी की सूचना की जी०डी० एन्ट्री की जाएगी।
- ❖ पुलिस द्वारा तुरंत दोनों बालकों को एस०जे०पी०यू० या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के सुपुर्द कियाजायेगा। चूँकि दोनों बालकों को जमानत पर छोड़ा जाना उनके सर्वोत्तम हित में नहीं होगा, अतः दोनोंको निरुद्ध किया जायेगा तथा एस०जे०पी०यू० या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा बालकों केमाता/पिता, अभिभावक, परिवीक्षा अधिकारी तथा बाल कल्याण अधिकारी/केस वर्कर को बालकों केनिरुद्ध होने की सूचना दी जाएगी।
- ❖ बालकों को अविलम्ब (प्रत्येक परिस्थिति में 24 घंटे के अन्दर) बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
- ❖ बालकों की सामाजिक पृष्ठभूमि आख्या (FORM 1) में भर कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

बच्चों के घर की तलाशी की प्रक्रियाः

- ❖ बच्चों के घर की तलाशी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत ली जा सकती है, परन्तु, बच्चों के साथ किसी प्रकार का मानसिक या शारीरिक उत्पीडन नहीं किया जायेगा।

स्टेक होल्डर्स :

पुलिस, एस०जे०पी०यू०, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, माता/पिता, अभिभावक, परिवीक्षा अधिकारी तथाबाल कल्याण अधिकारी/केस वर्कर, किशोर न्याय बोर्ड।

लघु केस –5

महाजन जिसकी उम्र 17 वर्ष है। एक दोस्ताना संघर्ष के दौरान उसने अपने दोस्त नारायण को पीट दिया,नारायन के परिवार ने पुलिस को रिपोर्ट किया। वह पुलिस स्टेशन लाया गया और पीटा गया। मीडियाको पता चला और उसे समाचार पत्र में उजागर किया गया।

1. यहां कौन और क्या कर सकता है?

2. पुलिस क्या प्रक्रिया अपनाएगी? क्रम वार लिखें?

3. सभी स्टेकहोल्डरों के नाम व कार्य लिखें?

उत्तर–

यहाँ कौन और क्या कर सकता है :

- ❖ किसी भी परिस्थिति में महाजन को पीटा नहीं जा सकता तथा ऐसा किया जाना किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत एक संज्ञेय अपराध है, यह भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अंतर्गत भी एक असंज्ञेय अपराध है।
- ❖ साथ ही साथ इस विषय में समाचार पत्रों में छपी खबर से यदि महाजन की पहचान उजागर होती है तो ऐसा किया जाना किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 के अंतर्गत असंज्ञेय अपराध है।
- ❖ इन अपराधों की शिकायत कोई भी पुलिस से कर सकता है (देंखें नियम 54 (1)) जैसे कि बालक,उसका परिवार, अभिभावक, मित्र, शिक्षक, चाइल्ड लाइन सेवा, कोई अन्य व्यक्ति या सम्बंधित संस्थान या संस्था। पुलिस क्या प्रक्रिया अपनाएगी :
- ❖ महाजन का कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अंतर्गत दंडनीय है तथा यह अपराध छोटे मोटेअपराध (Petty Offence) की कोटि में आता है।
- ❖ पुलिस द्वारा इस मामले की एफ०आई०आर० दर्ज नहीं की जाएगी बल्कि जी०डी० एंटी की जाएगी।
- ❖ महाजन के विरुद्ध किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 के अंतर्गत असंज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस सूचना को डी०डी० में दर्ज करेगी तथा यह सूचना तत्काल सम्बंधित मजिस्टंटे को प्रेषित की जाएगी जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 155 1⁄421⁄2 के अंतर्गत उचित कार्यवाही का निर्देश देगा।
- ❖ महाजन को पुलिस स्टेशन में पीटे जाने का अपराध संज्ञेय तथा असंज्ञेय दोनों हैं अतः पुलिस मामले मेंसंज्ञेय अपराध के रूप में कार्यवायी करेगी तथा मामले की एफ०आई०आर० किशोर न्याय अधिनियम कीधारा 75 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अंतर्गत दर्ज की जाएगी।

सभी स्टेकहोल्डर्स के नाम एवं कार्य :

- ❖ पुलिस – एफ०आई०आर०/जी०डी०/डी०डी० एंटी या डी०डी० एंटी की सूचना सम्बंधित मजिस्टेंट कोप्रेषित करना। अपराध का अन्वेषण सामाजिक पृष्ठभूमि आख्या तैयार करना।
- ❖ बालक, उसका परिवार, अभिभावक, मित्र, शिक्षक, चाइल्ड लाइन सेवा, कोई अन्य व्यक्ति या सम्बंधित संस्थान या संस्था– महाजन के विरुद्ध अपराध की सूचना पुलिस को देना।
- ❖ मीडिया– महाजन की पहचान को उजागर न करना।

लघु केस–6

मोहिनी बक्तापुर की कक्षा 8 की छात्रा है, एक दिन उसके अध्यापक ने उसे अपने कमरे में कुछ पुस्तकें

उठाने के लिए बहाने से बुलाया। अध्यापक ने उसके शरीर के अंगों को छूने का प्रयास किया, जो मोहिनी को अच्छा नही लगा। वह घर गयी और अपनी मम्मी से शिकायत की। अगले दिन मम्मी स्कूल गयी और अध्यापक को पीटना शुरु कर दिया। जिससे खबर पूरे समुदाय में फैल जाती है। अध्यापक बहुत प्रभावशाली खानदान से है। मोहिनी जानना चाहती है कि वह क्या करे, जिससे यह किसी अन्य के साथ न घटे।

1. पुलिस क्या प्रक्रिया अपनाएगी? क्रम वार लिखें?

2. मोहिनी क्या क्या कर सकती है?

3. सभी स्टेक होल्डरों के नाम लिखें?

उत्तर–

पुलिस की प्रक्रिया :

- ❖ अध्यापक का कृत्य POCSO अधिनियम की धारा 9/10 के अंतर्गत दंडनीय है।
- ❖ यदि पुलिस को मोहिनी के विरुद्ध हुए अपराध की सूचना मिलती है तो उसकी एफ०आई०आर० दर्ज की जाएगी तथा अन्वेषण प्रारंभ किया जायेगा।
- ❖ यदि पुलिस अथवा एस०जे०पी०यू० संतुष्ट हैं कि मोहिनी को देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता हैऐसा किये जाने के कारणों को लिखित में दर्ज करते हुए अविलम्ब देखभाल एवं संरक्षण प्रदान करनेकी कार्यवाही करेंगे।
- ❖ पुलिस अथवा एस०जे०पी०यू० द्वारा बिना अयुक्तियुक्त विलम्ब के, परन्तु चौबीस घंटे के अंदर मोहिनी केमामले की आख्या बाल कल्याण समिति तथा विशेष न्यायालय अथवा यदि विशेष न्यायालय नहीं है, तोसत्र न्यायालय को प्रस्तुत की जाएगी, जिसमे मोहिनी को देखभाल एवं संरक्षण से सम्बंधितआवश्यकता तथा इस दिशा में उठाए गए कदमों का विवरण होगा।

मोहिनी क्या कर सकती है :

- ❖ मोहिनी स्कूल के प्रधानाध्यापक से अपने विरुद्द किये गए कृत्य की शिकायत कर सकती है।
- ❖ मोहिनी स्वयं पुलिस को मौखिक या लिखित शिकायत कर सकती है।
- ❖ मोहिनी पास्को ईबाक्स POCSO e-BOX में घटना की सूचना दे सकती है।

सभी स्टेक होल्डर्स के नाम :

- ❖ मोहिनी का स्कूल
- ❖ मोहिनी के स्कूल के प्रधानाध्यापक एवं अन्य अध्यापक
- ❖ मोहिनी के परिवार के सदस्य
- ❖ पुलिस/एस०जे०पी०यू०
- ❖ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
- ❖ बाल कल्याण समिति

लघु केस–7

गीता उम्र 14 वर्ष ग्वालियर शहर के एक प्राइवेट स्कूल की कक्षा 9 की छात्रा है, गीता को एक लड़की

जो कक्षा 3 में पढ़ती थी उसने किसी बात पर मजाक में गीता से शरारत की। गीता ने नाराज होकर उसेबाद में देख लेने की धमकी दी। एक टीवी सीरियल से प्रभावित गीता ने अगले दिन छोटी लड़की कोस्कूल के बाथरूम में ले जाकर चाकू से हमला कर दिया। जिससे छोटी लड़की बुरी तरह घायल हो गयी।

लड़की के पिता थाने पर एफ0आई0आर0 लिखाने आये हैं।

1. पुलिस क्या प्रक्रिया अपनाएगी? क्रम वार लिखें?

2. सभी स्टेक होल्डरों का रोल लिखें?

उत्तर–

पुलिस की प्रक्रिया :

- ❖ गीता की आयु (14 वर्ष) तथा अपराध की प्रकृति (गभीर अपराध) को देखते हुए गीता के अपराध की एफ०आई०आर० नहीं दर्ज होगी बल्कि जी०डी० एंर्टी की जाएगी।
- ❖ गीता को निरुद्ध करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। (नियम 8 (1))
- ❖ पुलिस अथवा एस०जे०पी०यू० अथवा बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा अपराध की प्रकृति की सूचना तथा FORM 1 में भरी गयी सामाजिक पृष्ठभूमि आख्या किशोर न्याय बोर्ड को प्रेषित की जाएगी। (नियम 8 (1)
- ❖ गीता के माता–पिता को यह सूचना दी जाएगी कि गीता को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष सुनवाई केलिए कब प्रस्तुत होना है। (नियम 8 (1))
- ❖ गीता के माता–पिता से गैर–न्यायिक प्रपत्र पर FORM 2 में यह Undertaking ली जाएगी कि वह किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष जांच अथवा अन्य कार्यवाइयों में निर्धारित तिथि को उपस्थित होंगे। (नियम8 (7))
- ❖ गीता से पूछताछ नियम 8 (3) के प्रावधानों को ध्यान में रख कर की जाएगी।

सभी स्टेक होल्डर्स के रोल :

- ❖ पुलिस– उपरोक्त के अनुसार तथा नियम 10 (6) के अंतगर्त अंतिम रिपोर्ट जल्द–से–जल्द परन्तु किसीभी दशा में दो माह के भीतर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाएगी।
- ❖ गीता के माता–पिता– उपरोक्त के अनुसार
- ❖ किशोर न्याय बोर्ड– बोर्ड द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गीता को बिना किसी अयुक्तियुक्तविलम्ब के शीघ्र उसके समक्ष लाया जाये जिससे कि अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा किये बिना, यदिआवश्यक हो तो गीता के पुनर्वास के लिए आगे की कार्यवायी की जा सके। (नियम 9 (4))
- ❖ बोर्ड द्वारा जांच की कार्यवाही नियम 10 के अंतर्गत गीता के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए चाइल्ड–फ्रेंडली तरीकों से की जाएगी।
- ❖ बोर्ड द्वारा अधिकतम चार माह में पूरी कर ली जाएगी।
- ❖ जाँच पूरी होने के उपरांत बोर्ड द्वारा धारा 17 या 18 के अंतर्गत आदेश पारित किये जायेंगे।
- ❖ परिवीक्षा अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता– इनके द्वारा गीता के सम्बन्ध में सामाजिक अन्वेषण आख्या फार्म 6 में भर कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

लघु केस–8

एक 15 साल के लड़के को 4 व्यस्कों के साथ डकैती के जुर्म में पकड़ा गया है।

1. पुलिस क्या प्रक्रिया अपनाएगी? क्रम वार लिखें ?

उत्तर–

पुलिस द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया :

- ❖ डकैती भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के अंतर्गत गंभीर अपराध की कोटि में आता है, परन्तु चूँकिउक्त अपराध 15 वर्षीय बालक द्वारा चार वयस्कों के साथ मिल कर किये जाने का आरोप है, अतःएफ०आई०आर० दर्ज की जाएगी।
- ❖ बालक को निरुद्ध किया जा सकता है यदि ऐसा किया जाना उसके सर्वोत्तम हित में हो, अन्यथा बालकको जमानत पर छोड़ दिया जायेगा।
- ❖ यदि बालक को निरुद्ध किया गया है तो उसे एस०जे०पी०यू०/बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के सुपुर्दकिया जायेगा जो उसके माता–पिता/अभिभावक को यह सूचना देंगे कि बालक को निरुद्ध किया गयाहै तथा उन्हें किशोर न्याय बोर्ड का पता बताया जायेगा जहाँ कि बालक को पेश किया जाना है, उन्हेंपेशी का दिन और समय भी बताया जायेगा जिससे कि वह बोर्ड के समक्ष उपस्थित हो सकें। बालककी निरुद्धि की सूचना परिवीक्षा अधिकारी को भी दी जाएगी जिससे वह बालक की सामाजिक पृष्ठभूमिएवं अन्य महत्वपूर्ण परिस्थितियों के विषय में सूचना प्राप्त करे जो बोर्ड की जाँच में सहायक हो सकतीहैं। यह सूचना बाल कल्याण अधिकारी या केस वर्कर को भी दी जाएगी जो एस०जे०पी०यू०/बालकल्याण पुलिस अधिकारी के साथ बालक को बोर्ड के समक्ष पेश करेंगे।
- ❖ निरुद्ध किये जाने के चौबीस घंटे के अन्दर उसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
- ❖ बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि आख्या FORM 1 में भर कर बोर्ड को दी जाएगी।
- ❖ बालक के साथ नियम 8 (3) के अनुसार व्यवहार किया जायेगा।

लघु केस–9

मोहन एक 15 वर्ष का बालक है तथा उस पर मोबाइल फोन की चोरी के आरोप है। किशोर न्याय बोर्ड ने मोहन को संप्रेक्षण ग्रह में रखने का आदेश दिया है संप्रेक्षण ग्रह से मोहन भाग जाता है तथा पुलिस उसकी तलाश में है उक्त मामले में क्या प्रक्रिया होगी?

उत्तर–

संप्रेक्षण गृह से मोहन के भाग जाने के मामले में प्रक्रिया (धारा 26):

- ❖ कोई भी पुलिस अधिकारी मोहन का प्रभार ले सकता है, इसका तात्पर्य यह है कि ऐसे बालक को कोईभी पुलिस अधिकारी अपनी अभिरक्षा में ले सकता है।

- ❖ मोहन को, यदि संभव हो तो, उस बोर्ड के समक्ष जिसने उसकी बाबत मूल आदेश पारित किया था,प्रस्तुत किया जायेगा अथवा मोहन को उस निकटतम बोर्ड के समक्ष, जहाँ मोहन पाया गया था, प्रस्तुतकिया जायेगा।
- ❖ बोर्ड मोहन के सम्प्रेषण गृह से निकल भागने के कारणों को सुनिश्चित करेगा एवं मोहन को या तो उसीसंप्रेक्षण गृह या किसी अन्य संप्रेक्षण गृह, जिसको बोर्ड ठीक समझे, भेजे जाने का आदेश पारित करेगा।
- ❖ बोर्ड मोहन के सर्वोत्तम हित में अतिरिक्त आदेश भी पारित कर सकता है।
- ❖ मोहन के विरुद्ध संप्रेक्षण गृह से भाग जाने के कारण कोई अतिरिक्त कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी।

लघु केस–10

आठ वर्ष की बालिका बबली खेलते–खेलते अपने घर से दूर निकल गयी तथा खो गयी है एक पुलिस

अधिकारी को बबली रोती हुए मिलती है।उक्त मामले में क्या प्रक्रिया होगी?

उत्तर–

बबली के खो जाने के बाद की प्रक्रिया (धारा 32)

- ❖ पुलिस अधिकारी, जिसको बबली मिली है, चौबीस घंटे के भीतर (यात्रा में लगे समय को छोड़ कर) चाइल्डलाइन सेवा या निकटतम पुलिस थाने या बाल कल्याण समिति या जिला बाल संरक्षण इकाई को सूचना देगा अथवा बबली को किसी भी पंजीकृत बाल देखभाल वाले संस्थान को सौंपेगा।
- ❖ बबली के विषय में सूचना www.trackthemissingchild.gov.in पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।
- ❖ यह विशेष ध्यान रखने योग्य है कि उपरोक्त प्रक्रिया का पालन प्रत्येक व्यक्ति, जिसको खोया हुआ बालक या बालिका मिले, द्वारा किया जाना विधितः अनिवार्य है।
- ❖ खोये हुए बालक/बालिका के विषय में उपरोक्त प्रक्रिया से सूचना न देना दंडनीय अपराध है जिसके लिए छह माह तक के कारावास की सजा या दस हजार रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
- ❖ पुलिस द्वारा बबली से पूछताछ में यदि यह पता चलता है कि बबली देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाली बालिका है तो पुलिस द्वारा उसे बाल कल्याण समिति के समक्ष FORM 17 के प्रारूप में सूचना भर कर प्रस्तुत किया जायेगा।

अनुलग्नक–6

बालकों के सम्बन्ध में पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों का आचरण

क्या करें

1. बालकों के प्रति संवेदनशील रहें।
2. बच्चो को आरामदायक और सुरिक्षत जगह पर बैठाएँ ।
3. बच्चो को मूलभूत आवश्यकताऐं उपलब्ध करायें जैसे भोजन,पानी,शौचालय प्राथमिक उपचार आदि।
4. बालक की इच्छा एवं अनिच्छा का सम्मान करें।
5. आयु निर्धारण की प्रक्रिया पूर्ण होने तक बालक को संदेह का लाभ दिया जायें।
6. पुलिस अधिकारी यथासंभव सादे वस्त्रों में रहें।
7. यदि बालक को देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है, तो तत्काल बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करें।
8. बच्चे का बयान या मेडिकल कराते समय उसके माता–पिता या अभिभावक या कोई अन्य व्यक्ति जिसपर बच्चा भरोसा करता हो, की उपस्थिति अनिवार्य है।
9. विवेचना/जांच के दौरान बच्चें का बयान उसके निवास स्थान पर जाकर अंकित करें।
10. बच्चों से समबंधित विशेषज्ञ सेवाओं जैसे चाइल्ड लाईन, बाल कल्याण समिति सदस्य, परिवीक्षा अधिकारी, ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण के वकीलों, सम्बन्धित मजिस्ट्रेट आदि के फ़ोन नम्बर एवं पते की सूची रखें।

क्या न करें

1. बच्चे से तेज़ आवाज़ में बात न करें एवं अपशब्दों का प्रयोग न करें।
2. अनावश्यक रूप से बहुत सारे प्रश्न न पूछे।
3. बच्चों को न तो हथकडी पहनायी जाय व न ही लॉकअप में रखा जाय।
4. बच्चे को सहज महसूस कराने के लिए उसे गले न लगाऐ और न ही उसके शरीर का कोई हिस्सा छुएँ।
5. बच्चों को किसी भी परिस्थिति में अभियुक्त या सम्भावित अभियुक्त के सामने पड़ने नहीं दिया जाए।
6. बच्चे की पहचान किसी भी स्थिति में मीडिया में उजागर नहीं की जाये।
7. बच्चे के बयान माननीय न्यायालय के समक्ष कराने के लिए उसके मेडिकल का इंतज़ार न करें।
8. CWC अथवा JJB द्वारा आयु निर्धारण किये जाने तक अधिकारिक रूप से बच्चे की आयु दस्तावेज में अंकित न करें।
9. बच्चे को महिला थाना में ना भेजकर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करें।
10. विधि विरूद्ध बालक को सूर्यास्त के उपरान्त एवं सूर्योदय से पूर्व थाने पर ना लाऐं।
11. किसी विधि विरूद्ध बालक के अंगुष्ठ छाप नहीं लिये जाएं न ही कोई डोजियर बनाया जाए।
12. किसी विधि विरूद्ध बालक को जब जमानत पर छोड़ा जाए तो उसे समय–समय पर थाने पर न बुलाया जाए, ना ही हस्ताक्षर बनवायें जाएं।

अनुलग्नक–7

किशोर न्याय अधिनियम (आदर्श नियम) 2016 के नियमों के अर्न्तत प्रोफार्मा

प्रारूप–1

[नियम 8(1) 8 (5)]

किशोर न्याय आदर्श नियम 2016 के अंतर्गत

सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट

प्राथमिकी / जी0डी0 संख्या.....धारा के अधीन.....पुलिस स्टेशन.....तारीख और समय..... अन्वेषण अधिकारी का नाम .....सी0डब्ल्यू0 पी0ओ0 का नाम .....बालक का नाम.....
.....

1. पिता / संरक्षक का नाम .....
   आयु / जन्म की तारीख.....पता...
   .....
   .....
   - धर्म.....हिंदु (ओ0सी0 / ओ0बी0सी0 / एस0सी0 / एस0टी0)
   - मुस्लिम / ईसाई / अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

6. यदि बालक विकलांग है :

   1) सुनने मे अक्षम

   2) बोलने में अक्षम

   3) शारिरीक रुप से विकलांग

   4) मानसिक रुप से निःशक्त

   5) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

7. परिवार के ब्यौरे

क्रं0सं0	नाम तथा नातेदारी	आयु	लिंग	शिक्षा
1	2	3	4	5
व्यवसाय	आय	स्वास्थ्य की स्थिति	मानसिक रुग्णता का इतिहास (यदि कोई हो)	व्यसन (यदि कोई हो)
6	7	8	9	10

8. घर छोड़ने के कारण .....

9. क्या अपराध में परिवार के सदस्यों के लिप्त होने का पूर्ववृत्त है यदि कोई हो।

10. बालक की आदतें

क	ख
1 धूम्रपान	1 टी0वी0 / फिल्में देखना
2 शराब का सेवन करना	2 अंतरंग खेल / बहरिंग खेल खेलना
3 औषधियों का उपयोग विर्निदिष्ट करे	3 पुस्तकें पढना
4 जुआ खेलना	4 ड्राइंग / पेंटिंग / एक्टिंग / गायन
5 भीख मांगना	5 कोई अन्य
6 कोई अन्य	

11. रोजगार के ब्यौरे, यदि कोई हों .....

12. आय के उपयोजनः

1. परिवार की जरुरतों को पूरा करने के लिए परिवार को भेजी । हां नहीं
2. स्वयं द्वारा निम्नलिखित के लिए उपयोग की गई हों।

(क) पहनावा सामग्री हां नहीं

(ख) जुए के लिए हां नहीं

(ग) शराब के लिए हां नहीं

(घ) औषधियों के लिए हां नहीं

(ड.) धूम्रपान के लिए हां नहीं

(च) बचत हां नहीं

13. बालक की शिक्षा के ब्यौरे :

1. निरक्षर
2. पांचवी कक्षा तक अध्ययन
3. पांचवी कक्षा तक अध्ययन लेकिन कक्षा आठ से कम
4. कक्षा आठ तक अध्ययन लेकिन कक्षा दस से कम
5. कक्षा दस के अधिक पढाई की

14. स्कूल छोडने का कारण

1. पिछली कक्षा जिसमें पढ रहा था, फेल हुआ
2. स्कूल के कार्यकलापों में रुचि का अभाव
3. अध्यापक का उपेक्षापूर्ण व्यवहार
4. समकक्ष समूह का प्रभाव
5. अर्जन और परिवार की मदद करना
6. माता पिता की आसमयिक मृत्यु
7. स्कूल मे उत्पीड़न
8. स्कूल का कड़ा वातावरण
9. अनुस्थिति के उपरांत स्कूल का अभाव
10. नजदीक में आयु के अनुकूल स्कूल का अभाव
11. स्कूल में दुर्व्यवहार
12. स्कूल में अपमान
13. शारीरिक दंड
14. शिक्षण का माध्यम
15. अन्य

15. पिछला स्कूल जहां अध्ययन किया उसके ब्यौरे

1. निगम/नगर निगम पंचायत
2. सरकारी अनु0 जा0 कल्याण स्कूल/पिछडा वर्ग कल्याण स्कूल
3. प्राइवेट प्रबंधन
4. एन0सी0एल0पी0 के अंतर्गत विद्यालय

16. व्यावसायिक प्रशिक्षण यदि कोई हो.....
अधिकांश मित्र

1 शिक्षित
2 निरक्षर
3 उसी आयु वर्ग के लिए
4 आयु में बड़े
5 आयु में छोटे
6 एक ही लिंग के है
7 अन्य लिंग के है।
8 नशे की लत है।

9 आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं।

17. क्या बालक किसी दुव्यर्वहार के अध्यधीन रहा है:– हां/नहीं

क0सं0	दुर्व्यवहार के प्रकार	अभ्युक्ति
1	मौखिक दुर्व्यवहार – माता पिता/सहोदर भाई बहन/नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	
2	शारीरिक दुर्व्यवहार (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	
3	लैंगिक दुर्व्यवहार/माता पिता/सहोदर भाई बहन/नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	
4	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	

18. क्या बालक किसी अन्य अपराध का पीडित है हॉ नहीं
19. क्या बालक का इस्तेमाल किसी गैंग द्वारा अथवा वयस्कों द्वारा अथवा वयस्कों के ग्रुप द्वारा किया जा रहा हैं अथवा बालक को औषधियों के वितरण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है?
    हॉ नहीं
20. माता पिता की उपेक्षा अथवा अधिक संरक्षण अथवा उम्र ग्रुप के प्रभाव आदि जैसे तथाकथित अपराध का कारण: .....
21. वे परिस्थितियां जिनमें बालक को पकडा गया: .....
22. बालक से प्राप्त हुआ समान का ब्यौरा.....
23. अपराध में बालक की तथाकथित भूमिका .....
24. बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के सुझाव.....
    .....

बाल कल्याण पुलिस अधिकारी
द्वारा हस्ताक्षरित

प्रारुप 17

(नियम 18 (2), 19 (25))

बच्चों को समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के समय पेश की जाने वाली रिपोर्ट

मामला सं0.....

बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया.....

प्रस्तुत करने की तिथि .....प्रस्तुत करने का समय.....

प्रस्तुत करने का स्थान.....

1. बच्चे का प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का विवरण :

1) व्यक्ति का नाम .....

2) उम्र .....

3) लिंग.....

4) पता .....

5) संपर्क फोन संख्या.....

6) व्यवसाय/पदनाम.....

7) संगठन/बा0सं0सं0/एस0ए0ए0 का नाम .....

2 प्रस्तुत किया गया बालक :

1) नाम (यदि कोई हो).....

2) आयु (बतायी गयी आयु लिखें/शक्ल सूरत के आधार पर आयु लिखें).....
.....

3) लैगिकता.....

4) पहचान चिन्ह.....

5) बच्चे की भाषा.....

3 माता पिता/संरक्षक का विवरण यदि उपलब्ध हो:

1) नाम.....

2) आयु .....

3) पता .....

4) संपर्क (फोन) संख्या.....

5) व्यवसाय.....

4 स्थान जहॉ बच्चा प्राप्त हुआ .....

5 उस व्यक्ति का विवरण जिसके साथ बच्चा पाया गया:

1) नाम .....

2) आयु.....

3) पता .....

4) संपर्क फोन संख्या.....

5) व्यवसाय.....

6) बच्चा किन पस्थितियों में पाया गया.....

7) बच्चे पर किसी भी प्रकार के अपराध/दुराचार का बच्चे द्वारा किया दोषारोपण

8) बच्चे की शारीरिक स्थिति.....

9) प्रस्तुति के समय बच्चे का सामान.....

10) बच्चे के बा0सं0सं0/एस0ए0ए0 में आने की तिथि और समय.....

11) बच्चे के परिवार को खोजने के लिए किए गए तुरंत प्रयास.....

12) क्या बच्चे की चिकित्सा जॉच की गई है?.....

13) क्या पुलिस को सूचित किया गया है?.....

बच्चे के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान

बच्चे को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर/
अगूंठे के निशान

पुलिस – स्थानीय पुलिस/विशेष किशोर पुलिस इकाई/पदेन बाल कल्याण पुलिस अधिकारी/रेलवे पुलिस/परिवीक्षा अधिकारी/सार्वजनिक सेवा का कोई भी कर्मचारी/समाज कल्याण संगठन/सामाजिक कार्यकर्ता/बा0सं0सं0 के प्रभारी व्यक्ति/एस0ए0ए0/कोई भी नागरिक/स्वयं बालक अथवा बालक (जो भी लागू हो, भरा जाए)

प्रारूप 42

((नियम 69(घ) (4))

रातभर का संरक्षण प्रवास

.....(बालक का नाम) को..... आज अभिरक्षा में लिया गया/प्राप्त किया गया है।..... (संस्था का नाम) में रातभर के संरक्षण प्रवास की जरुरत हेतु रखा जाता है।

उक्त बालक को .....(बाल कल्याण पुलिस अधिकारी .....पुलिस स्टेशन ....जिला) के द्वारा पेश किया गया है। बालक को संरक्षण प्रवास में रखने के लिए अपेक्षित आवेदन बालक की सामान्य सेहत स्थिति, जिसे संस्था के प्रभारी व्यक्ति द्वारा विधिवत अनुशीलन किया गया है, वर्णित चिकित्सा रिपोर्ट के साथ लाया गया है।

उक्त बालक को ..... बजे संस्था में लाया गया है संबंधित अधिकार क्षेत्र के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को अगले दिन ..... बजे (समय बताएं) या उसके पहले सुपुर्द कर दिया जाएगा।

बालक की व्यक्तिगत वस्तुओं की गहन छानबीन की गई है और निम्नलिखित वस्तुएँ..... (यदि कोई हो) संबंधित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की सौंप दी गई हैं।

अगर संबंधित बाल कल्याण अधिकारी नियत समय पर बालक को अभिरक्षा में लेने की रिपोर्ट करने में असफल होता है तो ऐसे बालक को किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति के समक्ष संस्था के प्रभारी अधिकारी द्वारा शीघ्र पेश किया जाएगा।

प्रतिलिपि :

1. बाल कल्याण पुलिस अधिकारी ।
2. बोर्ड/समिति
3. संस्था का प्रभारी व्यक्ति

आज तारीख .....का 20

(हस्ताक्षर)
संस्था का प्रभारी व्यक्ति

(हस्ताक्षर)
बाल कल्याण पुलिस अधिकारी

अनुलग्नक–8

फीडबैक फार्म

1– इस प्रशिक्षण से आपकी क्या अपेक्षाएँ थी ?

2–कौन सी विशिष्ट अपेक्षाएँ थीं जो पूरी हुई हों ?

3– कौन सी विशिष्ट अपेक्षाएँ पूरी नहीं हुई ?

4– आप इस प्रशिक्षण के समग्र अनुभव को 1 से 5 तक के पैमाने पर कैसे आंकते हैं ?

1	2	3	4	5

5– प्रशिक्षण अनुभव से पूरी तरह संतुष्ट हैं अथवा असंतुष्ट हैं ?

6– 1 से 5 तक के पैमाने पर 'केस स्टडी ' की उपयोगिता का मूल्यांकन करें ।

1	2	3	4	5

7– 1 से 5 तक के पैमाने पर 'हितधारक विश्लेषण ' की उपयोगिता का मूल्यांकन करें।

1	2	3	4	5

8– कार/ड्रांइवर गतिविधि क्रियाकलाप की उपयोगिता को 1 से 5 तक के पैमाने पर रेट करें।

1	2	3	4	5

9– कोई अन्य सुझाव/टिप्पणी।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

नामः–(वैकल्पिक)..... उम्रः–

पदः–..... लिंगः–महिला ☐ पुरूष ☐

जनपदः–..... मोबाइल नम्बरः–.....

रिसोर्स पर्सन का संक्षिप्त विवरण

1– न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर

जस्टिस लोकुर ने जुलाई 1977 में वकालत शुरू करने के पश्चात उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस की। वे 1981 में सुप्रीम कोर्ट में वकील और 1998 में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त हुए। इसके बाद उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश का कार्यभार भी संभाला। जुलाई 1999 में हाईकोर्ट के जज बनाए गए। जस्टिस लोकुर गुवाहाटी और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। जस्टिस लोकुर को किशोर न्याय में गहरी दिलचस्पी के लिए जाना जाता है एवं वह दिल्ली उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं।

2–भारती अली

भारती अली सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स की सह–संस्थापक और कार्यकारी निदेशक हैं, जो दिल्ली स्थित एक गैर सरकारी संगठन है जो सभी बच्चों के लिए सभी अधिकार हासिल करने की दिशा में काम करता है। उनके काम में बाल विवाह, संपत्ति में महिलाओं का अधिकार, घरेलू हिंसा, शिक्षा, बाल श्रम, बाल तस्करी और किशोर न्याय सहित महिलाओं और बच्चों से संबंधित कई मुद्दों पर शोध शामिल है। वह विभिन्न पुलिस अकादमियों, न्यायिक अकादमियों, राष्ट्रीय और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों और ऐसी अन्य एजेंसियों और नागरिक समाज के लिए बाल संरक्षण मुद्दों, विशेष रूप से किशोर न्याय, बाल यौन शोषण और बाल तस्करी पर प्रशिक्षण और शिक्षा सामग्री विकसित कर रही है और क्षमता निर्माण कार्यक्रम चला रही हैं। एक वकील के रूप में प्रशिक्षित होने के कारण, वह कानून के संपर्क में आने वाली महिलाओं और बच्चों को कानूनी परामर्श प्रदान करने में भी शामिल रही हैं। वह किशोर न्याय पर एशिया प्रशांत परिषद की बैठकों में सक्रिय भागीदार रही हैं।

3– अनंत कुमार अस्थाना

अनंत उन कुछ और दुर्लभ बाल अधिकार वकीलों में से एक हैं, जिन्होंने किशोर न्याय बोर्डों, अन्य ट्रायल कोर्ट, उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कानून के संपर्क में आने वाले कई बच्चों और उनकी चिंताओं का प्रतिनिधित्व करके उनकी मदद की है। वह किशोर न्याय, बाल यौन शोषण और बाल तस्करी में मूल्यवान अंतर्दृष्टि और विशेषज्ञता के साथ बाल संरक्षण कानूनों के प्रशिक्षक हैं। इन्हे विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य कानूनों और नीतियों का मसौदा तैयार करने के लिए गठित महत्वपूर्ण समितियों में काम करने का अवसर मिला है।

4–सत्य प्रकाश

सत्य प्रकाश ने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से समाजशास्त्र में एम. फिल की डिग्री प्राप्त की है। सत्या ने बाल अधिकारों और मानव तस्करी का मुकाबला करने के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर काम किया है और बाल संरक्षण और बाल विकास, बाल यौन शोषण और किशोर न्याय के क्षेत्र में व्यवसायी, शोधकर्ता और प्रशिक्षक के रूप में 8 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ काम किया है। उन्होंने इन विषयों के इर्द–गिर्द निर्मित संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, द्विपक्षीय संगठन, वैश्विक कोष, राज्य और केंद्र सरकार द्वारा समर्थित कई परियोजनाओं को लागू किया है। सत्य बाल संसाधन केंद्र के लिए विशेषज्ञों के पैनल में भी कार्य करते है बाल अधिकार विभाग (डीसीआर), राजस्थान और एचसीएम, राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान की एक संयुक्त पहल राज्य पुलिस, हितधारकों और समान विषयों पर काम करने वाले अन्य सीएसओ को संवेदनशील बनाने के लिए। उन्होंने यूएनओडीसी, यूएनडीपी और हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा कमीशन किए गए शोध अध्ययन किए हैं और उनके पास कई लेख और शोध पत्र हैं।

5—डॉ शेखर पी. शेषाद्रि

डॉ शेखर पी. शेषाद्री होसुर रोड, बैंगलोर में एक मनोचिकित्सक और किशोर और बाल मनोचिकित्सक हैं और इन क्षेत्रों में 39 वर्षों का अनुभव रखते हैं। डॉ शेखर पी. शेषाद्री, होसुर रोड, बैंगलोर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज हॉस्पिटल में अभ्यास करते हैं। उन्होंने 1979 में जीबी पंत अस्पताल, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली से एमबीबीएस और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज (निमहंस) से एमडी (मनोचिकित्सा) पूरा किया। वह मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) के सदस्य हैं। वह वर्तमान में प्रोफेसर और हेड, बाल और किशोर मनोचिकित्सा विभाग, (निमहान्स), बैंगलोर हैं। विकास विकलांगता सहित बाल और किशोर मानसिक स्वास्थ्य के साथ काम करने के अलावा, वह लिंग और कामुकताओं, हिंसा ध आघात और दुर्व्यवहार, कठिन परिस्थितियों में बच्चों, किशोर न्याय, अनुभवी पद्धतियों, स्कूल कार्यक्रम जीवन कौशल शिक्षा में शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में सक्रिय रूप से शामिल है।

6—प्रोफेसर वेद कुमारी

डॉ कुमारी ने भारत में किशोर न्याय पर तीन पुस्तकें लिखी हैं। 2017 में प्रकाशित उनकी नवीनतम पुस्तक 'द जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन) एक्ट 2015— क्रिटिकल एनालिसिस' है। वह भारत में किशोर न्याय पर एक विशेषज्ञ के रूप में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हैं और उनके शोध पत्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित हुए हैं। उनकी पहली पुस्तक 'ट्रीटीज ऑन द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986 भारतीय विधि संस्थान द्वारा 1993 में प्रकाशित की गई थी। उनके डॉक्टरेट कार्य का दूसरा संस्करण ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा 'द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम इन इंडियाः फ्रॉम वेलफेयर टू राइट्स' के रूप में प्रकाशित हुआ था। 2004 और 2010 में छपा था।

7—डॉ के.पी. आशा मुकुंदनी

डॉ. आशा ने टीआईएसएस से सामाजिक कार्य में एमए किया, उसके बाद समाजशास्त्र में पीएचडी की। 2005 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में फैकल्टी सेंटर फॉर क्रिमिनोलॉजी एंड जस्टिस (तत्कालीन अपराध विज्ञान और सुधार प्रशासन विभाग) के रूप में शामिल हुए। डॉ. आशा 1998 से बाल अधिकारों और किशोर न्याय से संबंधित मुद्दों पर काम कर रही हैं। टीआईएसएस से पहले, एक प्रोजेक्ट चाइल्ड राइट्स सेल का नेतृत्व किया, जो महिला और बाल विकास विभाग महाराष्ट्र सरकार (जीओएम), और यूनिसेफ का एक संयुक्त उद्यम था। "किशोर न्याय के लिए संसाधन प्रकोष्ठ" नामक फील्ड एक्शन प्रोजेक्ट के संस्थापक सदस्य और परियोजना निदेशक हैं, जो महाराष्ट्र के 6 जिलों में काम करता है।

8—अपर्णा भट

अपर्णा भट भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वकालत करने वाली एक वकील हैं। इन्होनें बच्चों पर विशेष ध्यान देने के लिए विभिन्य मुद्दो पर बड़े पैमाने पर काम किया है। इनके द्वारा ऐसे मामलों की दलील दी गयी है जिसके कारण महिलाओं और बच्चों को प्रभावित करने वाली नीतीयों और कानूनों में प्रणालीगत परिवर्तन हुए। 2005 में इनके द्वारा रेप क्राइसिस की शुरूआत की गयी, जो यौन पीड़ितों की सहायता के लिए एक कानूनी हेल्पलाइन है।

9—डॉ कुमार असकंद पांडे

डॉ कुमार असकंद पांडे (केए पांडे) जून, 2006 से डॉ, राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ के संस्थापक संकाय सदस्य हैं। वर्ष 2015—16 में, उन्हें महिला एवं बाल विकास विभाग, यूपी सरकार द्वारा आमंत्रित किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य में चाइल्ड केयर संस्थानों का पहली बार सोशल ऑडिट

और रैपिड असेसमेंट आयोजित करने के लिए उन्होनें दो रिपोर्ट प्रस्तुत की। वर्ष 2016 में यूनिसेफ द्वारा एक प्रमुख कार्य–अनुसंधान परियोजना के लिए उनके प्रस्ताव को स्वीकारा गया, और उनके नेतृत्व में यह परियोजना उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में "बाल संरक्षण प्रणाली को मजबूत करने" शीर्षक के तहत सफलतापूर्वक चल रही है। वर्ष 2017–18 में डॉ. पांडेय को जेजे अधिनियम, 2015 के तहत राज्य नियम बनाने के लिए डीडब्ल्यूसीडी, यूपी सरकार द्वारा गठित संसाधन समूह के सदस्य के रूप में भी नामित किया गया था। वह प्रारूप समिति के सदस्य भी वह उत्तर प्रदेश पुलिस की महिला और बाल शाखा महिला सम्मान प्रकोष्ठ के प्रशिक्षक और सलाहकार रहे हैं और उत्तर प्रदेश राज्य भर में पुलिस बल के सदस्यों के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

10–अलंकृता सिंह

अलंकृता सिंह भारतीय पुलिस सेवा की एक अधिकारी हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य में 4 जनपदों में पुलिस अधीक्षक और 4 विभिन्न सशस्त्र पुलिस बटालियनों में कमांडेंट के रूप में कार्य किया है। वह वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस के महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन में पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात हैं। इससे पहले वह मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) में पूर्णकालिक प्रशिक्षण की भूमिका में थीं। वह महिलाओं और बच्चों के मानवाधिकारों के मुद्दों में रुचि रखती हैं, विशेष रूप से उनके खिलाफ विभिन्न प्रकार की हिंसा के उन्मूलन के दृष्टकोण से। राष्ट्रीय लिंग और बाल केंद्र के कार्यकारी निदेशक के रूप में उन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय कार्यशालाओं, वेबिनार और प्रशिक्षक कार्यक्रमों का प्रशिक्षण आयोजित किया है। रिसोर्स पर्सन के रूप में उनको विभिन्न IITs व PSUs के अतिरिक्त ब्रिटिश और अमरीकी दूतावासों, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइन्सेज, (TISS) दिल्ली ज्यूडिशियल अकादमी, सीबीआई अकादमी, बीपीआरडी एवं राष्ट्रीय पुलिस अकादमी द्वारा आमंत्रित किया गया है। आपके द्वारा "Status of brick kilns in India" पुस्तिका व चार भाग "Administrator'' नाम से पत्रिका का LBSNAA में संपादन किया गया । आपकी रूचि पेन्टिंग, फोटोग्राफी एवं ब्लाग लेखन में है।

रिसोर्स परसन के संपर्क विवरण

क्र.स.	नाम	संपर्क	ईमेल आईडी
1	न्यायमूर्ति मदन भीमराव लोकुर	9868219007	madanlokur@gmail.com
2	भारती अली	9871849521	bharti@haqcrc.org
3	अनंत कुमार अस्थाना	9212117105	anant.asthana@gmail.com
4	सत्य प्रकाश	8860221098	satya.hrb@gmail.com
5	डॉ शेखर पी. शेषाद्रि	9845130639	shekhar@nimhans.ac.in
6	प्रोफेसर वेद कुमारी	6712338001	vkumari@lc1.du.ac.in
7	डॉ के.पी. आशा मुकुंदनी	9892574425	kpasha@tiss.edu
8	अपर्णा भट	9811113979	Aparna.bhat@gmail.com
9	डॉ कुमार असकंद पांडे	9919493369	kskandnujs@gmail.com
10	अलंकृता सिंह	9412582277	alankrita0410@gmail.com

महिला एवं बाल
सुरक्षा संगठन

बच्चों को किसी भी परिस्थिति में न तो हथकड़ी पहनाई जाए व न ही लॉकअप मे रखा जाए

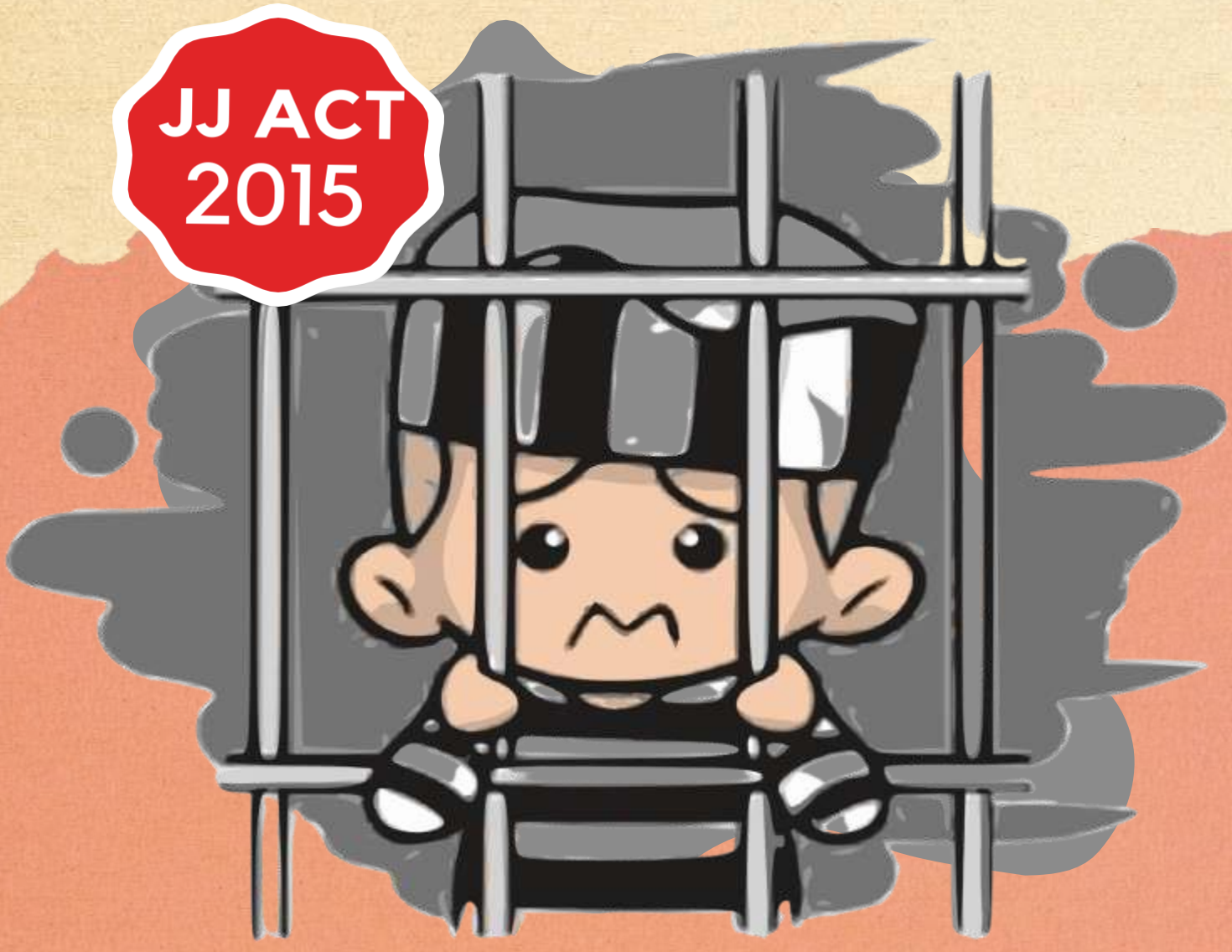

संक्षिप्त नाम (Abbreviations)		
WCSO	Women and Child Security Organization	महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन
SJPU	Special Juvenile Police Unit	विशेष किशोर पुलिस इकाई
CWPO	Child Welfare Police Officer	बाल कल्याण पुलिस अधिकारी
CNCP	Children in Need of Care & Protection	देखरेख व संरक्षण की आवष्यकता वाले बालक
CCL	Children in Conflict with Law	विधि विरूद्ध बालक
AHTU	Anti-human trafficking unit	मानव तस्करी विरोधी इकाई
UNCRC	United Nation Child Rights Convention	संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता
CrPC	Code of Criminal Procedure, 1973	दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973
IPC	Indian Penal Code, 1860	भारतीय दण्ड संहिता, 1860
DCPU	District Child Protection Unit	जिला बाल संरक्षण इकाई
DPO	District Probation Officer	जिला प्रोबेशन अधिकारी
NCPCR	National Commission for protection of child rights	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
SCPCR	State Commission for protection of child reights	राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग
CWC	Child welfare committee	बाल कल्याण समिति
JJB	Juvenile Justice Board	किशोर न्याय बोर्ड
JJ ACT	Juvenile Justice (Care & protection of children) Act, 2015	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम, 2015
POCSO	Protection of children from Sexual offences act 2012	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012

GD	General Daily Diary Entry	रोजनामचा आम
CAC	Crime Against Children	बच्चों के विरूद्ध अपराध
CJM	Chief Judicial Magistrate	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
SBR	Social Background Report	सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट
SIR	Social Investigation Report	सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट
ICP	Individual care plan	व्यक्तिगत देखरेख योजना
OSC	One stop Centre	वन स्टाप सेन्टर
DLSA	District legal service authority	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
SLSA	State legal service authority	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
ITPA	Immoral trafficking prevention act, 1956	मानव दुर्व्यापार निरोधक अधिनियम, 1956
IO	Investigating Officer	विवेचना अधिकारी /विवेचक
GRP	Government Railway Police	राजकीय रेलवे पुलिस
RPF	Railway Protection Force	रेलवे सुरक्षा बल
SSB	Shastra Seema Bal	सशस्त्र सीमा बल
बालक का अर्थ 18 वर्ष से कम उम्र के बालक व बालिका दोनों से है।		

संकल्पना एवं मार्गदर्शन	:	नीरा रावत (I.P.S.) अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन (W.C.S.O.)
लेखन	:	अलंकृता सिंह (I.P.S.) पुलिस अधीक्षक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन (W.C.S.O.)
संपादन	:	नीति द्विवेदी (P.P.S.) अपर पुलिस अधीक्षक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन (W.C.S.O.)
संभार	:	सत्येन्द्र कुमार वर्मा, निरीक्षक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन (W.C.S.O.)
समीक्षा	:	महर्षि अग्निहोत्री प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर, प्लान इंडिया गंगेश त्रिपाठी, निरीक्षक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन (W.C.S.O.)
समन्वय	:	महिला आरक्षी उमा पाठक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन (W.C.S.O.) आरक्षी विनय कुमार तिवारी, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन (W.C.S.O.)
विशेष सहयोग	:	अंचल गुप्ता, एडवोकेट स्वाति यादव सहायक प्रबन्धक (विधि) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (S.E.B.I)